भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना कमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स सी.जी. कोल एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा में प्रस्तावित कोल वॉशरी उत्पादन क्षमता 2 x 2 एमटीपीए (Wet Process) एरिया–8.195 हेक्टेयर में स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई दिनांक 07.02.2018, दिन–बुधवार, प्रस्तावित उद्योग स्थल–मेसर्स सी.जी. कोल एण्ड पॉवर लिमिटेड,ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा (छ.ग.) के परिसर में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना कमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स सी.जी. कोल एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा में प्रस्तावित कोलवॉशरी की उत्पादन क्षमता 2 x 2 एमटीपीए (Wet Process) एरिया–8.195 हेक्टेयर में स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में अपर कलेक्टर कोरबा की अध्यक्षता में एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा की उपस्थिति में दिनांक 07.02.2018 दिन–बुधवार को प्रस्तावित उद्योग स्थल–मेसर्स सी.जी. कोल एण्ड पॉवर लिमिटेड,ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा के परिसर में प्रातः 11:00 बजे लोक सुनवाई प्रारंभ हुई।

सर्वप्रथम श्री अरविन्द कुमार शर्मा, महाप्रबंधक कार्पोरेट अफेयर्स, द्वारा कोलवॉशरी प्रोजेक्ट के संबंध में पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन (ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट) के कार्यपालिक सार का प्रस्तुतीकरण उपस्थित जन समुदाय के समक्ष किया गया।

मेसर्स सी.जी. कोल एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा में प्रस्तावित कोलवॉशरी उत्पादन क्षमता 2 x 2 एमटीपीए (Wet Process) एरिया–8.195 हेक्टेयर में स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् लोक सुनवाई के संबंध में लोक सुनवाई सूचना प्रकाशन तिथि से दिनांक 06.02.2018 तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा में लिखित में 34 चिंताएँ/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुई। दिनांक 07.02.2018 को आयोजित लोक सुनवाई के दौरान लिखित में 38 चिंताएँ/सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुईं। इस प्रकार लिखित में कुल 72 चिंताएँ/सुझाव/विचार /टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों के संबंध में आवेदन प्राप्त हुये। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को परियोजना के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 248 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक रूप से चिंताएँ/सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ अभिव्यक्त की गईं। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका/टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को सुनकर अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान लगभग 600–700 व्यक्ति उपस्थित थे। जिसमें से 114 व्यक्तियों द्वारा उपस्थिति पत्रक में हस्ताक्षर किये गये।

लोक सुनवाई में मौखिक रुप से निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ की गई :–

1. श्री ईश्वर सिहं, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा , जिला–कोरबा –

आज हमारे ग्राम में आयोजित लोक सुनवाई में हम यह कहना चाहते है, कि सी.जी. कोल के आने से प्रदूषण होगा, क्या ग्राम बतारी में वॉशरी आने से , ग्राम का विकास होगा, हम यह यह कहना चाहते है कि हमारे ग्रामवासियों को रोजगार देगें एवं ग्राम का विकास करेंगे, तो कोलवॉशरी खुले, ग्राम–बतारी में पानी एवं शिक्षा की व्यवस्था उद्योग प्रबंधन द्वारा की जावे, साथ ही गांव की रोड

का निर्माण अच्छी तरीके से करावाये, हम इस कोलवॉशरी के आने से हमे खुशी है। वॉशरी की स्थापना होनी चाहिए। रोजगार व्यवस्था अच्छी तरीके से होना चाहिए, मै ग्राम पंचायत बतारी का पंच होने के नाते वॉशरी का समर्थन करता हूँ।

2. श्री बालकुमार राज, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए, हमें रोजगार मिलना चाहिए। मैं कोलवॉशरी में रोजगार चाहता हूँ। जहां उद्योग है वहां भी प्रदूषण है। जहॉ नहीं है वहां भी प्रदूषण है।

3. श्री बाबू सिंह, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

हम अपनी जमीन सी.जी.कोलवॉशरी को दिये है। हम चाहते है कि कोलवॉशरी की स्थापना होनी चाहिए, उद्योग में ग्राम बतारी के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।

4. श्री विशाल अग्रवाल, विधायक प्रतिनिधि, दीपका, जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी के स्थापना से ग्राम–दीपका में प्रदूषण होगा। अगर कोलवॉशरी खुलेगी तो हम विरोध करते है।

5. श्री मिलाप सिंह कंवर, सरपंच, ग्राम–झाबर, जिला–कोरबा –

सी.जी. कोल खुलने से रोजगार मिलना चाहिए, मूलभूत सुविधा आसपास के क्षेत्र में होनी चाहिए। इस कोलवॉशरी के आने से धूलडस्ट तो होगा, मगर इसके रोकथाम के लिये भी उपाय होना चाहिए।

6. श्रीमती गंगा, अनिता बाई एवं मालती बाई, ग्राम–बतारी, सरस्वती स्व–सहायता समूह, बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

हम चाहते है । कोलवॉशरी खुलना चाहिए , उद्योग में रोजगार मिलना चाहिए।

7. श्री नंदलाल महन्त, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

हम इस कोलवॉशरी का समर्थन करते है। दूसरे जगह के लोग इस कोलवॉशरी का विरोध करते है। जब कि ग्राम–बतारी के लोग इस उद्योग का समर्थन करते है।

8. श्री लक्ष्मी चौहान, सचिव, सार्थक, कोरबा , जिला–कोरबा –

यह लोक सुनवाई, रोजगार के मुददे पर नहीं होती है। यह लोक सुनवाई पर्यावरण के मुददे पर होती है। उद्योग प्रबंधन द्वारा टी.ओ.आर. की शर्तों का पालन नहीं किया गया है। ई.आई.ए. में वायु प्रदूषण होने से आसपास के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका उल्लेख ई.आई.ए. में नहीं किया गया है। ई. आई.ए. रिपोर्ट में वायु प्रदूषण के जो ऑकड़े दिये गये है। वह बहुत ही कम है। टी.ओ. आर. के तहत् अगर ई.आई.ए. नहीं है तो आपको लोक सुनवाई हेतु पुनः जाना होगा।

9. श्री मंघन दास, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

आसपास खदान खुले है, तब प्रदूषण नहीं होता। अगर कोलवॉशरी खुलेगी तो प्रदूषण होगा, हम कोलवॉशरी का समर्थन करते है। हम ग्रामवासियों को कोलवॉशरी के खुलने से रोजगार प्राप्त होगा।

10. श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, कोरबा, जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी का मै विरोध करता हूँ। कोरबा में बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया है।

11. श्री नरेश टंडन, जनप्रतिनिधि एवं भारतीय जनता पार्टी, जिलाध्यक्ष, अनु. जाति. मोर्चा, जिला–कोरबा –

सबसे ज्यादा प्रदूषण कोरबा में है, जो भी कोयला का परिवहन ट्रक से होता है। उससे आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण व्याप्त है। कोलवॉशरी के खुलने से बहुत प्रदूषण होगा । मैं इस कोलवॉशरी का विरोध करता हूँ।

12. श्री के.के.मिश्रा, उर्जानगर, गेवरा परियोजना, कोरबा –

पूर्व से जो खदान एं कोलवॉशरी संचालित है, उनसे ही बहुत ज्यादा प्रदूषण है। नई कोलवॉशरी खुलने से और प्रदूषण होगा। मैं इस कोलवॉशरी का विरोध करता हूँ।

13. श्री संजीव कुमार, इण्डस पब्लिक स्कूल, बतारी, जिला–कोरबा –

दीपका में प्रदूषण बहुत ज्यादा है। इण्डस स्कूल जहां संचालित है, वहीं पर कोलवॉशरी की स्थापना की जा रही है। स्कूल के सामने कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए । मैं इस कोलवॉशरी का विरोध करता हूँ।

14. श्री विशाल शुक्ला, जनता कांग्रेस, दीपका, जिला–कोरबा –

जहॉ वॉशरी आ रही है, वहीं पर इण्डस पब्लिक स्कूल संचालित है। महाविद्यालय यहां से दिखाई दे रहा है। मै इस कोलवॉशरी का विरोध करता हूँ।

15. श्री रेशम लाल यादव, कोल फेडरेशन अध्यक्ष, गेवरा, दीपका क्षेत्र, जिला–कोरबा –

हम चाहते हैं कि देश का विकास हो, जहां पर कोलवॉशरी आ रही है। स्कूल लगी हुई है। यहां पर कोल वॉशरी की स्थापना नहीं होना चाहिए।

16. श्री बी.एन.शुक्ला, गेवरा परियोजना, जनरल सेकेट्री, दीपका, जिला–कोरबा –

उद्योग खुलना चाहिए, उद्योग रहेगा तो मजदूर रहेगा। कोल वॉशरी की स्थापना होनी चाहिए, यह बात सत्य है कि क्षेत्र में बहुत ही प्रदूषण है। प्रदूषण से आसपास के ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पडेगा। जहां पर कोलवॉशरी की स्थापना हो रही है, मैं उसका विरोध करता हूँ।

17. श्री सुरजीत सिंह, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा–

हम लोग पहले से ही धूल डस्ट खा रहे है। अतः कोल वॉशरी की स्थापना होना चाहिए।

18. श्री अशोक कुमार पाण्डेय, सचिव, गेवरा परियोजना, जिला–कोरबा –

यह जो क्षेत्र है चाहे गेवरा एवं दीपका परियोजना हो, पहले जो उत्पादन प्रारंभ हुआ था, इसकी क्षमता 10 मिलियन टन थी, आज गेवरा परियोजना की उत्पादन क्षमता 41 मिलियन टन/वर्ष हो गई है। इसी तरह से दीपका एवं कुसमुण्डा भी उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ गई है। आज यह पूरा क्षेत्र प्रदूषण मय हो गया है। 90 प्रतिशत व्यक्ति शुगर के पेसेन्ट है, जहां पर उद्योग खुले आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण न हो। मै इस कोलवॉशरी का विरोध करता हूँ।

19. श्री हेमलाल श्रीवास, इण्डस पब्लिक स्कूल, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

जहां पर कोलवॉशरी आ रही है। इण्डस स्कूल कोलवॉशरी परिसर से लगी हुई है। जहां पर प्लांट की स्थापना होने से स्कूल के बच्चों का स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पडेगा, आज के बच्चे ही देश के भविष्य है। अगर बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पडेगा तो फिर क्या होगा। अगर यहां प्लांट की स्थापना होगी तो स्कूल का क्या एवं बच्चों के भविष्य का क्या होगा। 2 कि.मी. की दूरी पर महाविद्यालय है। ऑगनबाड़ी केन्द्र है। उद्योग की स्थापना से स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरित असर पडेगा। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा डॉक्टर बन सकता है, किन्तु उद्योग की स्थापना, बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ेगा।

20. श्रीमती यशोदा, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

ग्राम बतारी में कोलवॉशरी खुलना चाहिए । हम इस कोलवॉशरी का समर्थन करते है। हमें रोजगार मिलेगा और कई जगह कोलवॉशरी है तो ग्राम बतारी में भी कोलवॉशरी खुलना चाहिए।

21. श्रीमती शांति बाई, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

खदान खुलना चाहिए, हम कोल वॉशरी का समर्थन करते हे। कोलवॉशरी के खुलने से ग्राम–बतारी के लोगों को रोजगार मिलेगा।

22. श्री लक्ष्मीकांत जगत, बी–113, विकास नगर, कुसमुण्डा,जिला–कोरबा –

ग्राम–बतारी के लोगों को जमीन के बदले क्या मिला है। कोरबा 5वीं अनुसूची में आता है। मै इस कोलवॉशरी का विरोध करता हूॅ। बतारी के लोग 5 वीं अनुसूची में पढे और जाने। 5 वीं अनुसूची का पालन एसईसीएल नहीं कर पाया तो यह कोलवॉशरी क्या करेगी। मै इस कोलवॉशरी का विरोध करता हूॅ।

23. श्रीमती गौतम बाई, आमजनता, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

हम प्रदूषण का विरोध करते है। कोलवॉशरी का विरोध करती हूॅ।

24. श्रीमती अनिता कंवर, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

मैं कोलवॉशरी नहीं खुलने दूॅगी।

25. श्रीमती कल्याणी जायसवाल, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

धूल–डस्ट उड़ेगा तो प्रदूषण होगा। हम कोलवॉशरी का विरोध करते है।

26. श्रीमती टिकैतिन बाई, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

हम कोलवॉशरी का विरोध करते है।

27. श्रीमती विमला बाई, ग्राम–सिरकी, गांधीनगर तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

आज एसईसीएल तो हमको मुआवजा एवं रोजगार नहीं दिया है तो यह वॉशरी हमको क्यो देगी। गांव वालों को प्रलोभन देकर के अपने पक्ष में समर्थन कर रहे है। हम इस कोलवॉशरी का विरोध करते है। हम आपके पास नहीं गये। आज हमारे पास आयें है। बड़े पदों पर बाहरी लोगों को ही रखा जाता है। स्थानीय लोगों को महत्व नहीं दिया जाता है। हम इस कोलवॉशरी का पुरजोर विरोध करते है।

28. मंजू साहू, दीपका, जिला–कोरबा –

हम अपनी जमीन दे चुके है, किन्तु हमे आज तक काम नहीं मिला है। कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

29. श्री बंशीदास महंत, विजयनगर, जिला–कोरबा –

हमारी मांग है कि कोलवॉशरी में 90 प्रतिशत लोगों को रोजगार देंगे। स्थानीय लोगों को पर्यावरण का ध्यान देंगे। सप्ताह में एक दिन का अवकाश दिया जावे। अगर हमारी मांगों को माना जाता है तो कोलवॉशर खुलना चाहिए। स्थानीय निवासियों को ट्रेनिंग दी जावे।

30. श्रीमती नितिन वैष्णव, शांतिनगर, दीपका तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

वॉशरी नहीं खुलना चाहिए, हम इस कोलवॉशरी का विरोध करती हूँ। नगर पालिका दीपका द्वारा शांतिनगर से पानी बिजली कुछ नहीं है।

31. शिवकुमारी, दीपका शांतिनगर, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

हमारे दीपका शांतिनगर में पानी की व्यापक समस्या है । अगर हम दीपका के अधिकारियों से बोलते है तो ध्यान नहीं दिया जाता है। यह कोल वॉशरी का मै पूरी तरह से विरोध करती हूँ।

32. श्री अज्जूरात श्रोते, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

हम यह कोलवॉशरी खुलने का विरोध करते है, क्योकि कोल वॉशरी खुलने से हम बंध जावेगे।

33. श्री राजूलाल सोरेन, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण होगा।

34. श्री बृजेश श्रीवास, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा – –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि पूर्व से ही क्षेत्र में कोल डस्ट प्रदूषण है। यह जगह कोलवॉशरी के लिये उपयुक्त नहीं है। हम इस कोलवॉशरी का विरोध करते है। कोलवॉशरी के खुलने से भूमिगत जल नीचे जायेगा। कोल परिवहन ट्रक के माध्यम से किया जावेगा, जिससे आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण होगा। टी.ओ.आर में उल्लेख किया गया है कि आर. एन. ए. प्लान लागू नहीं होगा।

35. श्री धीरज जायसवाल, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी जहां पर आ रही है, उसके आसपास के ग्रामों में विद्यालय है एवं कॉलेज भी है। वॉशरी खुलने से धूलडस्ट प्रदूषण होगा। बतारी गांव के कुछ दूरी पर बहुत सारी कोलवॉशरी है।

36. श्री कृष्ण कुमार मरावी, ग्राम–झाबर, दीपका, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलने से आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण होगा। मैं इस कोलवॉशरी का पुरजोर विरोध करता हूँ।

37. श्री रामलाल सरोते, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

हमें कोलवॉशरी नहीं चाहिए।

38. श्री गजेन्द्र प्रजापति, ग्राम–बिंझरा,तहसील–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए, तभी हम लोगों को रोजगार मिलेगा।

39. श्री सहसराम , ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

हम इस कोलवॉशरी का विरोध करते है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण होगा।

40. श्री रमेश कुमार नेती, ग्राम–देवगॉव, जिला–कोरबा –

मैं विरोध करता हूॅ। सब्जी, कपड़ा, पानी प्रदूषित होता है।

41. लक्ष्मीन बाई, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा – –

नौकरी चाहिए, कोलवॉशरी खुलना चाहिए, हम समर्थन करते है।

42. श्री रजनीश कुमार मरावी,दीपका,जिला–कोरबा –

मैं इस लोक सुनवाई का विरोध करते है, यहां पर इण्डस स्कूल है। महाविद्यालय वॉशरी से बिलकुल पास है। वॉशरी के स्थापना से कोल डस्ट प्रदूषण होगा।

43. हेमबाई, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए।

44. श्रीमती तीज बाई, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा – –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए।

45. श्री तनवीर अहमद, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, दीपका तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

जमीन के निर्णय के बाद लोक सुनवाई का आयोजन होना चाहिए। नियम का उल्लंघन करके यह लोक सुनवाई का आयोजन किया गया है। आई.आई. टी. के सर्वे में प्रदूषण का स्तर 60 है। यह लोग यहां पर क्यों कोलवॉशरी लगा रहे है। यहां के लोगों का प्रलोभन देकर हस्ताक्षर करावाया जा रहा है। यह वॉशरी इस क्षेत्र के लिये अभिशाप होगी। यह कोलवॉशरी की स्थापना नहीं होनी चाहिए। यह लोक सुनवाई पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आयोजित की गई है। कोलवॉशरी के आसपास स्कूल है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, दीपका, इस

कोल वॉशरी का पुरजोर विरोध करती है। यह लोग बताये कि कोलवॉशरी में कितने लोगों को रोजगार देंगे।

46. श्री काशीराम, ग्राम–सिरकी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

हमारी जमीन पूर्व में अधिग्रहित की गई है, तो मुआवजा एवं नौकरी नहीं दी गई है।

47. श्री रविशंकर, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा – –

कोलवॉशरी खुलने का मैं समर्थन करता हूँ।

48. श्रीमती धनकुंवर, संरपंच ग्राम पंचायत–मलगांव, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

हमारे ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई है। कोलवॉशरी का मैं समर्थन करती हूँ।

49. श्री मनबोध कुमार, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

वॉशरी खुलने का समर्थन करता हूँ।

50. श्रीमती सरोजनी अघरिया,ग्राम–बतारी,तहसील–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलने का समर्थन करती हूँ। मुझे रोजगार चाहिए।

51. कुमारी बबीता,ग्राम–पुड़ी(रलिया) तहसील–कटघोरा,जिला–कोरबा –

आसपास के क्षेत्र में पूर्व से ही उद्योग स्थापित है। ई.आई.ए. रिपोर्ट में सही जानकारी नहीं दी गई है। कोलवॉशरी खुलने से स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

52. श्री अमिर हुसैन खान,दीपका, तहसील–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मैं नहीं चाहता हूँ कि कोलवॉशरी खुले।

53. श्री फूलेश्वर सुरजईया,ग्राम–मोगरा ,तहसील–कटघोरा,जिला–कोरबा –

हिमालय गल रहा है, दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। जमीन के संबंध में जमीन की जानकारी, पटवारी द्वारा प्रदान की जाती है। मै कोल इंडिया को

डायनासोर मानता हूँ। इस कोलवॉशरी को स्थापित होना चाहिए। पर्यावरण डायनासोर बनने वाला है। जिस शहर में 50 हजार आबादी थी, आज वहां की आबादी 5 लाख है। कोलवॉशरी की स्थापना आज नही तो कल होना होना ही है। कोलवॉशरी के आसपास के क्षेत्र डस्ट प्रदूषण से प्रभावित होंगे। आज के समय में उद्योग की स्थापना एवं बिजली संयंत्र की स्थापना आवश्यक है किन्तु आज के समय में रोजगार चाहिए धूलडस्ट नहीं होना चाहिए । कोरबा क्षेत्र में सबसे ज्यादा भू–विस्थापित है। देश को बिजली चाहिए।

54. श्री जुगुन खान, जनता दल युनाईटेड, दीपका, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

मै यह पूछना चाहता हूँ कि कोरबा, क्षेत्र में और कितनी कोल वॉशरी चाहिए। कोरबा क्षेत्र में ऐसे कई लोग है, जिन्हे नौकरी एवं रोजगार नहीं मिला है। यह जन सुनवाई बंद की जावे। मैं इस कोलवॉशरी का विरोध करता हूँ।

55. श्री अरूणीश तिवारी, पार्षद, नगर पालिका परिषद, दीपका, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

औद्योगिक विकास होना प्रासंगिक है। इसके पूर्व एक जनसुनवाई हुई थी, कुसमुण्डा कोलवॉशरी, जिसकी अनुमति आज तक नहीं हुई है। ग्राम बतारी के लोग उम्मीद लगाये हुये है कि उनका विकास होगा, और उनको रोजगार मिलेगा। कोरबा में बहुत कोलवॉशरी किन्तु रोजगार नहीं दिया गया है। कोलवॉशरी प्रबंधन द्वारा बतया गया है कि वॉशरी में मात्र 85 लोगों को ही रोजगार मिलेगा। कोलवॉशरी से व्यापक मात्रा में कोल डस्ट प्रदूषण होता है। जहां भी अथवा जिस स्थान में उद्योग नहीं है, वहां पर उद्योग की स्थापना की जावे। दीपका, गेवरा, दीपका क्षेत्र मे पानी का बहुत अभाव है। जबकि कोलवॉशरी संचालन में पानी की आवश्यकता होगी। वॉशरी के खुलने से और आसपास के क्षेत्र में पानी की समस्या होगी। यहॉ के लोग बेराजगार है,

परेशान है मैं समझता हूँ। किन्तु नये उद्योग खुलना हम लोगों के यि हानिकारक होगा। इस स्थान पर वॉशरी नहीं खुलना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूँ। इस वॉशरी स्थल से लगी हुई इण्डस स्कूल है। वहां के बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

56. श्री सुनील कुमार , ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए। रोजगार मिलेगा।

57 श्री सुखदेव अघरिया, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए। रोजगार मिलेगा।

58. श्री समारू, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुल रही, रोजगार मिलना चाहिए।

59. श्री संतराम, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

कोलवाशरी की स्थापना होनी चाहिए।

60. श्री रामलाल सिंह, सरगुजा (छ.ग.) –

प्रस्तावित कोलवॉशरी का मै विरोध करता हूँ। कोरबा जिले में बहुत उद्योग पहले से संचालित है। दीपका क्षेत्र एवं कोरबा के रोड के किनारे धूल डस्ट है। मै इस लोक सुनवाई का विरोध करता हूँ।

61. माननीय बोधराम कंवर, पूर्व विधायक, कटघोरा, जिला–कोरबा –

कोरबा की क्या स्थिति है, सबको मालूम है, कोरबा आदिवासी क्षेत्र है, कोरबा 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। बिना ग्राम सभा के कोई उद्योग की स्थापना नहीं हो सकती है। सरकार की मंशा है कि कोलवॉशरी खुले, यहां की जनता यह समझ रही है, कि यह इलाका अब रहने लायक नहीं है। आप ऐसा उद्योग लगाइये, जिससे प्रदूषण न हो आसपास के क्षेत्र में गरीबी है। इसलिए यहां के लोग समर्थन कर रहे है। कोलवॉशरी की स्थापना हम लोगों के साथ छलावा है। कोयले का परिवहन रेलवे से होना चाहिए। जहां पर उद्योग नहीं

है। वहां पर कोलवॉशरी की स्थापना होना चाहिए। आसपास के क्षेत्र में स्कूल है, बसाहट है। मैं इस कोल वॉशरी का विरोध करते है। अगर कोल वॉशरी खुलेगी तो पूरी कांग्रेस कमेटी विरोध करेगी।

62. श्री संजय शर्मा, भारतीय मजदूर संघ, जिला–कोरबा –

सी.जी. कोल एण्ड पॉवर लि. जो हमारे क्षेत्र में आने वाली है। कोरबा जिला 10 प्रदूषणकारी क्षेत्रों के अन्दर आता है। गेवरा, दीपका, कुसमुण्डा बहुत बड़ी कोयला खदान है, जो कि 10 से 15 कि.मी. की दूरी पर है, जिससे आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण व्याप्त है। ग्राम–बतारी के आसपास, कॉलेज, स्कूल है । अगर कोलवॉशरी आयेगी तो आसपास का क्षेत्र प्रभावित होगा। मै इस कोलवॉशरी का विरोध करता हूँ।

63. श्री मीरा राम शरण, क्षेत्रवासी, जिला–कोरबा –

लोक सुनवाई 07.02.2018 को ग्राम बतारी में आयोजित है। दीपका क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण इतना अधिक हो गया है। जीना मुश्किल हो गया है। रोड से कोयला का परिवहन ज्यादा होता है, जिससे आये दिन दुर्घटना होती है। मै इस कोलवॉशरी का विरोध करती है।

64. श्रीमती पूर्णिमा बाई, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

65. श्री मनोज शर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, दीपका, जिला–कोरबा –

मै उद्योग का विरोध नहीं करता हूँ , क्योंकि उद्योग खुलने से रोजगार मिलेगा एवं क्षेत्र का विकास होगा। एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान कोरबा जिले में है। तो प्रबंधन द्वारा प्रलोभन दिया जाता है, ग्राम बतारी के आसपास बहुत गांव की बसाहट,जिसमें आसपास के क्षेत्र मे प्रदूषण होगा, अगर वॉशरी खुल गई तो व्यापक मात्रा में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण होगा, यह बतारी क्षेत्र जल/वायु प्रदूषण से मुक्त था इसलिए आसपास के क्षेत्र में स्कूल

व कॉलेज है। कोयला धोने के लिए प्रबंधन द्वारा कहां से पानी लिया जावेगा। यह प्रत्येक व्यक्ति जानता है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि कोरबा क्षेत्र में कितना प्रदूषण है। मै कोलवॉशरी का विरोध करता हूँ।

66. श्री नरेन्द्र कुमार प्रधान, ग्राम–सिरकीखुर्द, जिला–कोरबा –

उद्योग स्थापित होने से भी सभी लोगों को रोजनगार नहीं मिलेगा। कृषि मुख्य साधन है। इसलिये उद्योग नहीं खोला जावे।

67. श्री गोपीराज, ग्राम–सिरकी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –

मैं कोलवॉशरी का विरोध करता हूँ।

68. श्री प्रकाश कुमार कोर्राम, ग्राम–सिरकी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मैं कोलवॉशरी का विरोध करता हूँ। जो भी शर्त उद्योग को दी जाती है, उसका पालन करवाने की जिम्मेदारी किसकी है। आप यह बताये, आज जो भी विरोध हो रहा है, प्रदूषण के कारण। मै पूर्ण रूप से इस कोलवॉशरी का विरोध करता हूँ।

69. श्रीमती राजकुमारी सुरेन, ग्राम–बतारी ,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मैं कोलवॉशरी का विरोध करती हूँ।

70. श्री मंटोरा बाई, ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कुकरी फार्म के नाम से हम लोगो से सहमती ली गई है। हम नहीं जानते थे कि यहां पर उद्योग की स्थापना हो रही है। धूलडस्ट होगा हम लोगों को नही मालूम था। हम लोग इस कोलवॉशरी का विरोध करती है।

71. श्रीमती केवरा बाई, ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मैं कोलवॉशरी का विरोध करती हूँ।

72. श्रीमती तीरथ बाई, ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मैं कोलवॉशरी का विरोध करती हूँ।

73. श्रीमती इक्यासी बाई, ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मैं कोलवॉशरी का विरोध करती हूँ।

74. श्रीमती जगबाई, ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मैं कोलवॉशरी का विरोध करती हूँ।

75. श्रीमती तिल बाई, ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मैं कोलवॉशरी का विरोध करती हूँ।

76. श्रीमती बुधवारो बाई, ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मैं कोलवॉशरी का विरोध करती हूँ। कोल वॉशरी खुलने से आसपास के क्षेत्र में डस्ट प्रदूषण होगा।

77. श्री दीपक जायसवाल, दीपका, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

वर्तमान में इस क्षेत्र में बहुत समस्या है। प्रदूषण की समस्या इस क्षेत्र में है। कोलवॉशरी की स्थापना नहीं होनी चाहिए।

78. श्रीमती मंगली बाई कंवर, ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मैं कोलवॉशरी का विरोध करती हूँ।

79. श्रीमती विमला बाई, ग्राम–जींकटपुर, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मैं कोलवॉशरी का विरोध करती हूँ।

80. श्रीमती लक्षमीबाई , ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मैं कोलवॉशरी का विरोध करती हूँ।

81. श्रीमती परमीला बाई, ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मैं कोलवॉशरी का विरोध करती हूँ।

82. श्रीमती जनबाई, ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

83. श्रीमती लाकेश्वरी बाई, ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

84. श्रीमती बिमला बाई , ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

85. श्रीमती सीमा कंवर , ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

86. श्री राय सिंह कंवर , क्षेत्रवासी ,जिला–कोरबा –

बताया गया कि मुर्गी पालन हेतु जमीन ली जा रही है। किन्तु बाद में उद्योग लगाया जा रहा है, पर्यावरण समस्या का निदान होना चाहिए। योग्यता के तहत उद्योग में रोजगार दिया जावे। मै समर्थन करता हूँ।

87. श्री विजय कंवर , ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मैं कोलवॉशरी का समर्थन करता हूँ।

88. श्री चमरू सिंह कंवर , ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलने से प्रदूषण होगा। कोलवॉशरी नहीं खुले।

89. श्री समारू सिंह कंवर , ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मै उद्योग का विरोध करता हूँ।

90. श्री धनराज सिंह , ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मै उद्योग का विरोध करता हूँ।

91. श्री जयलाल सिंह , क्षेत्रवासी,जिला–कोरबा –

मै उद्योग का विरोध करता हूँ।

92. श्री महेन्द्र कंवर , ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

हम शिक्षा प्राप्त लोगों को नौकरी मिलना चाहिए।

93. श्री देवसिंह , ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मै कोलवॉशरी का विरोध करता हूँ।

94. श्री दुरभवन सिंह , ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मै कोलवॉशरी का विरोध करता हूँ।

95. श्री मानसिंह राज , ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए।

96. श्री धीरेन्द्र मरकाम , ग्राम–तिवरता,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए, किन्तु रोजगार युवाओं को दिया जावे।

97. श्री जग्गू सिंह , ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मै उद्योग का समर्थन करता हूँ।

98. श्री सुजान सिंह उइके , ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी में हमारे गांव एवं घर के युवाओं को रोजगार चाहिए। मैं समर्थन करता हूँ।

99. श्री अमृत सिंह उइके , ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मै कोलवॉशरी का समर्थन करता हूँ।

100. श्रीमती गनेशिया बाई , ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

हम कोलवॉशरी का विरोध करते है।

101. श्रीमती जानकंवर , ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

हम कोलवॉशरी का विरोध करते है।

102. श्री प्राचीराज खुरसेगा , ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए।

103. मीरा बाई, ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए।

104. श्री सोनू खान , दीपका, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

105. श्री महेन्द्र कुमार , क्षेत्रवासी, जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

106. श्री विनोद कुमार , ग्राम–लिटियाखार, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

107. श्री लखपत गोस्वामी, ग्राम–लिटियाखार,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

108. आरती राज, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए।

109. उर्मिला उइके , ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

110. श्री शिव शंकर , ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

वॉशरी हेतु जमीन दिया हूँ। जमीन लेने दिनांक से आज दिनांक तक नौकरी नहीं दिया गया है। वॉशरी नहीं खुलना चाहिए। प्रदूषण की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया है।

111. श्री सत्येन्द्र पैकरा , ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मै कोलवॉशरी का विरोध करता हूँ। कोलवॉशरी की स्थापना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आसपास उद्योग पूर्व से स्थापित है।

112. श्री तारकेश्वर मिश्रा , दीपका, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मै कोलवॉशरी का विरोध करता हूँ।

113. श्री नारायण बघेल , रामपुर ,जिला–कोरबा –

सड़क, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य की सुविधा दी जावे। कोलवॉशरी खुलने का समर्थन करता हूँ।

114. बसंती बाई कुम्हार, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

महिलाओं, लड़की–लड़को को रोजगार चाहिए। लिखित में नौकरी का आश्वासन दें। तभी वॉशरी खुले।

115. श्री राधेश्याम जायसवाल , बिजली कर्मचारी महासंघ, दर्री, जिला–कोरबा –

प्रदूषण के कारण लोगों का जीवन कम हो गया है। पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। पर्यावरणीय नियमों का पालन किया जाता है, तभी वॉशरी खुले अन्यथा नहीं।

116. श्री सुबोध सिंह(अध्यक्ष) , भारतीय मजदूर संघ, असंगठित क्षेत्र, जिला–कोरबा –

मै कोलवॉशरी का विरोध करता हूँ। पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान न की जावे। वॉशरी खुलने से प्रदूषण होगा।

117. श्रीमती जामबाइ श्याम, अध्यक्ष , ज.पं. पाली,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलने का विरोध करते है। आसपास के कृषकों की भूमि पर दुष्प्रभाव /प्रदूषण होगा। शासकीय स्कूल तालाब प्रदूषित होंगे। पेशा कानून के तहत कोलवॉशरी खोलना न्यायसंगत नहीं है। कोलवॉशरी खुलने का विरोध करते है।

118. श्री राई कुमार राठौर , पोड़ी, रामपुर ,जिला–कोरबा –

मै कोलवॉशरी का विरोध करता हूँ। आज तक किसी भी वॉशरी में नौकरी नहीं दिया गया है।

119. श्री मुकेश जायसवाल, उपसरपंच, ग्राम–झाबर, जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी हेतु आयोजित जनसुनवाई निरस्त की जावे। सूचना भी नहीं दिया गया। आसपास स्कूल ग्राम, अस्पताल स्थापित है। किसी भी स्थिति में वॉशरी खुलने नहीं देंगे। बतारी में कोलवॉशरी को निरस्त करें।

120. श्री किताब सिंह कंवर, ग्राम–विजयनगर ,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलने से ग्राम–प्रदूषित होगा। कोलवॉशरी न खुले।

121. धर्म कुंवर बाई , ग्राम–झाबर,जिला–कोरबा –

मै कोलवॉशरी खुलने का विरोध करती हूँ। प्रलोभन दोगे तो भी वॉशरी नहीं खुलने देंगे। किसी भी स्थिति में वॉशरी नहीं खुलने देंगे।

122. श्री आत्माराम , क्षेत्रवासी, जिला–कोरबा –

रोजगार मिलेगा, तो वॉशरी खुलना चाहिए। सहमत है।

123. अनुसुईया राठौर, हरदीबाजार, जिला–कोरबा –

गांव के लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता। गांव के लोगो को रोजगार दे। तभी वॉशरी खुले।

124. श्री चंद्रभूषण सिंह , दीपका कॉलोनी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी से आबादी की दूरी कितनी होनी चाहिए। यह अधिकारी बतावें। कम दूरी पर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, तो वॉशरी का विरोध करता हूँ।

125. सकुन जर्नादन, बी.जे.पी. जिला कार्यकारिणी, जवाली, तह. –कटघोरा,जिला–कोरबा –

मै कोलवॉशरी का विरोध करती हूँ। रोजगार का छलावा दिया जा रहा है। बाहरी लोगों को काम पर रखा जाता है। गांव के लोगों से कहती हूँ कि कोल वॉशरी का विरोध करें।

126. श्री प्रेमबाइ अघरिया , ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

रोजगार दें । यहां कोलवॉशरी खुलने नहीं देंगे। आसपास के सभी खदान, वॉशरी बंद हो।

127. श्री रविकुमार जायसवाल , भूतपूर्व संरपच– बेलटिकरी, तह. –कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलने का विरोध करता हूँ।

128. चंदन बाई, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

जमीन दिये है। इसलिए कोलवॉशरी खुले।

129. सकुन बाई , गांधीनगर, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

खदान / वॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

130. सरबती बाई, ग्राम–बतारी तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

गॉव में कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

131. सीताबाई , पंच, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए। विरोध करते है।

132. श्रीमती फिरमती बाई, क्षेत्रवासी ,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए। प्रदूषण होगा। स्वास्थ्य वातावरण हेतु अन्य उद्योग लगावे।

133. श्री राजूलाल श्रोते , ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

खेती किसानी से यहां के लोग जीवन यापन करते है। वॉशरी खुलेगी तो जनहानि होगी। यहां पुर्नवास ग्राम, स्कूल स्थापित है। आई.टी.आई. प्रशिक्षण केन्द्र है। परिवहन से धूल–डस्ट बढ़ेगा। खेती–किसानी को नुकसान होगा। कोलवॉशरी खुलने का मै विरोध करता हूँ। वॉशरी से पर्यावरण को नुकसान होगा। नुकसान केवल बतारी ग्रामवासियों का होगा। सभी से कहता हूँ कि कोलवॉशरी का विरोध करें।

134. रतन बाई , ग्रम–सिरकी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए। विरोध करते है।

135. गुडडी बाई , कृष्णा नगर,जिला–कोरबा –

स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं दिया गया है। कोलवॉशरी बाहरी लोगों को नहीं खुलने देंगे। पूरा विराध करते है। । नौकारी नहीं दिया गया है।

136. श्री मनीराम महिलांगे , हरदीबाजार तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

8 घंटे का कार्य कराया जावे। यहां के विकास के लिए कुछ कार्य नहीं कराया गया है। परिवहन से दुर्घटना बढ़ रही है। 90 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगो को दिया जावे। कोलवॉशरी खुलने का विरोध करता हूँ।

137. श्री भैयाराम गोड , शाला अध्यक्ष कन्या आश्रम, बतारी, तह. –कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी से लगभग 150 मीटर की दूरी पर कन्या आश्रम है। बच्चों को तबियत धूल–डस्ट के कारण खराब हो रहा है। डस्ट से मुक्ति दिलावें। कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए। कोलवॉशरी खुलने का विरोध करते है।

138. श्री संदीप कुमार कुर्रे , ग्राम–सिरकी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की व्यवस्था की जावे। वॉशरी लगने से परिवहन में वृद्धि होगी, प्रदूषण होगा। स्थानीय लोगों को रोजगार दें। सड़क मार्ग में विद्युतिकरण करें, तभी वॉशरी खुले।

139. श्री भुवन , ग्राम–बतारी तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

रोजगार की व्यवस्था करें। तभी वॉशरी खुले।

140. श्री प्रदीप कुमार, ग्राम–चैनपुर तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

परिवहन का भारी दबाव है। दुर्घटना बढ़ रही है। वॉशरी खुलने से परिवहन का दबाव बढ़ेगा। विरोध करता हूँ।

141. श्री विपिन चंद्र जायसवाल, क्षेत्रवासी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

वॉशरी खुलेगा तो स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जायेगा। पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ।

142. श्री अभय महंत, ग्राम–झाबर, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मै कोलवॉशरी का विरोध करता हूँ।

143. श्री ईश्वर आरमेक्शन , जिला अध्यक्ष, गोडवाना गणतंत्र पार्टी, जिला–कोरबा –

कोरबा जिला पॉचवी अनुसूची जिला है। यहां पेशा कानून लागू है। पेशा कानून के तहत ग्राम सभा की अनुमति के तहत कोई भी उद्योग नहीं लगाया जा सकता। ग्राम सभा के बिना अनुमोदन के कोलवॉशरी स्थापित किया

गया है। स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। वॉशरी को अवैध किया जावे। कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए। 90 प्रतिशत प्रशिक्षित अकुशल एवं 50 प्रतिशत कुशल लोगों को रोजगार की व्यवस्था लिखित में देवें। रोजगार का आश्वासन लिखित में देवें। पुनः ग्रामसभा की बैठक ली जावे। किसी भी स्थिति में वॉशरी ना खुले। मै कोलवॉशरी का विरोध करता हूँ।

144. श्री पास्कल तिर्की , ग्राम–झाबर तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मै कोलवॉशरी का विरोध करता हूँ।

145. श्री विनोद सिंह, ग्राम–तिवरता , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलेगा तो रोजगार मिलेगा, समर्थन करते है।

146. श्री बहुरंग सिंह , ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलने का विरोध करता हूँ। रोजगार नहीं दिया गया। विरोध करता हूँ।

147. बिपाशा पॉल , जन अभिव्यक्ति संस्था, –

ओव्हरऑल पाल्युशन कम होने के कारण वॉशरी को रेड से ऑरेन्ज केटेगिरी में किया गया है। जिसके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। जल एवं वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। किटिकली पाल्युशन जोन के तहत वॉशरी नहीं खुलना चाहिए। एयर एंबिएंट क्वालिटी पर आपत्ति है। एयर एंबिएन्ट क्वालिटी का स्तर सामान्य से अधिक है। एयर क्वालिटी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो गलत जानकारी देकर बनाया गया है। ग्राउण्ड वॉटर , नेचरल वॉटर पर प्रभाव का कोई उल्लेख नहीं है। ग्राउण्ड वॉटर , नेचरल वॉटर पर प्रभाव पड़ेगा। ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख है कि रॉ–कोल का परिवहन रेल यो रोड के माध्यम से होगा। यह स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट किया जावे। वास्तविवक प्लान बताया जावे कि रॉ–कोल का परिवहन किस प्रकार होगा। बाई रोड, कोल परिवहन से धूल–डस्ट बढ़ेगा। रिजेक्ट कोल का परिवहन को

उल्लेख ई.आई.ए. में नहीं किया गया है कि रिजेक्ट कोल का ट्रांसपोर्ट किस पॉवर प्लांट को किया जावेगा। जल बहाव मार्ग पर प्रभाव पड़ेगा। इसका ई. आई.ए. में उल्लेख नहीं है। बायोलॉजिकल कन्जरवेशन प्लान स्पष्ट नहीं है। जनसुनवाई का पूर्ण रूप से विरोध करती हूँ।

148. इतवारा बाई, ग्राम–बतारी , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

रोजगार मिलेगा वॉशरी खुलने से। समर्थन करते है।

149. करमैतिन बाई, ग्राम–बतारी , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए।

150 लता कंवर, जनपद पंचायत अध्यक्ष,कटघोरा,जिला–कोरबा –

परिवहन से दुर्घटना बढ़ेगी। क्षेत्रवासियों के हित में कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

151. श्रीमती हिना कंवर, ग्राम–बतारी , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

वॉशरी खुलने से आवागमन में असुविधा होगी। समर्थन करते है।

152. श्री बालेश्वर सिंह कंवर, ग्राम–बतारी , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

बिजली की व्यवस्था की जावे, पानी की सुविधा दी जावे, तभी वॉशरी खुले।

153. श्री रमेश, ग्राम–बतारी , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए।

154. बबलू, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

रोजगार मिलन चाहिए , तब कोलवॉशरी खुले।

155. श्री नरेन्द्र कुमार, ग्राम–बतारी , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

रोजगार मिलेगा, कोलवॉशरी खुलना चाहिए।

156. सुरसरी तिवारी, ग्राम–झिंगटपुर, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

लाईट, पानी, रोड की सुविधा देवें, वॉशरी खुलने का समर्थन करते है।

157 श्री एम.पी. चांद, दीपका , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलने से पहले अनुमति लें। कोलवॉशरी खुलने का मै प्रबल विरोध करता हूँ। खुलेगा तो सहमति नहीं है।

158. श्री साबिर अंसारी, दीपका , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलने का विरोध करता हूँ। मानव जीवन पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा।

159. श्री लक्ष्मी नारायण, ग्राम–बतारी , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए।

160. श्री जय कुमार, ग्राम–बतारी , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए।

161. श्री बंटी सिंह, ग्राम–बतारी , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

सभी ग्रामवासियों को रोजगार दिया जावे। तब समर्थन करता हूँ।

162. श्री मोती ग्राम–बतारी , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए।

163. श्री अनूप यादव,उपाध्यक्ष,दीपका नगर पालिका परिषद,जिला–कोरबा –

आसपास स्कूल कॉलेज है। अनुमति दिया जाता है तो कोलवाशरी का प्रबल विरोध करता हूँ, निवेदन है कि वॉशरी खुलने की अनुमति नहीं दिया जावे। कोलवॉशरी का विरोध करता हूँ।

164. श्री नवल किशोर पंडित, सचिव, जिला कांग्रेस कमेटी जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए। पेशा कानून का उल्लंघन किया गया है। ग्रामसभा से अनुमति/अनुमोदन नहीं लिया गया है। रोजगार नहीं दिया जावेगा। कोलवॉशरी का घोर विरोध जिला कांग्रेस कमेटी करती है।

165. श्री अमृता प्रसाद कोर्राम, ग्राम–सिरकीखुर्द, तह.–कटघोरा, जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलने का विरोध करता हूँ।

166. श्री बाबू सिंह कंवर, ग्राम–बतारी , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी द्वारा धोखाधड़ी किया गया है। धोखाधड़ी किया जाकर वॉशरी प्रबंधन ने जमीन सपुर्दगी हेतु हस्ताक्षर कराया गया है। लोगों को प्रलोभन देकर कथन कराया जा रहा है। कोलवॉशरी खुलने का विरोध करता हूँ।

167. श्री अजय जायसवाल, ग्राम–दीपका , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

जनसुनवाई कराना केवल खानापूर्ति रह गया है। कोल परिवहन के कारण प्रदूषण हो रहा है। पूर्व में स्थापित खदानों एवं कोलवॉशरी से प्रदूषण होगा। वॉशरी लगेगा तो प्रदूषण स्तर बढ़ेगा। वॉटर लेवल पर प्रभाव पड़ेगा। पेशा कानून का उल्लंघन किया गया है। कोरबा जिला देश का सबसे प्रदूषित जिला है। उद्योग यहां स्थापित नहीं होना चाहिए। क्षेत्र की जनता का विकास नहीं विनाश होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। प्रदूषण से लोगों की जान जा रही है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाकर किसी भी उद्योग लगाने की अनुमति दिया जावे। प्रदूषण स्तर निर्धारित करें। तब जनसुनवाई की कार्यवाही हो। लोगो को रोजगार नहीं दिया है। जन सुनवाई निरस्त की जावे।

168. तिवारिन बाई, ग्राम–बतारी , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

जमीन लेकर नौकरी नहीं दिया गया है । खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। राशन पानी कुछ नहीं मिल रहाहै। वॉशरी का विरोध करती हूँ।

169. कांतिबाई मधुकर, जनपद सदस्य–04, हरदीबाजार,, तह.–कटघोरा, जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलने का विरोध करती हूँ।

170. सोनिया महंत,पंच, ग्राम–बतारी , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए । कोलवॉशरी खुलन का विरोध करती हूँ।

171 श्री रूप सिंह विंध्यराज, ग्राम–कसईपाली , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जाये। कोलवॉशरी खुलने से जनहानि होगा। धूल–डस्ट उत्पन्न होगा, जिससे स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ेगा। कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

172. श्री सतीश कुमार कोर्राम, ग्राम–सिरकीखुर्द, तह.–कटघोरा, जिला–कोरबा –

सिरकी ग्रामवासियों का प्रदूषण का भारी प्रभाव है। कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए । जनसुनवाई का विरोध करता हूँ।

173. श्री बुगल कुमार दुबे, नगर पालिका अध्यक्ष, दीपका , जिला–कोरबा –

कोरबा जिला तीसरा सबसे प्रदूषित जिला है। जो भी उद्योग यहां स्थापित होते आ रहे हैं। वह जिले के बाहर स्थापित हों। कोलवाशरी प्रोजेक्ट का विरोध करता हूँ।

174. श्रीमती मीरा बाई , खडियापारा ग्राम–बतारी , तह.–कटघोरा, जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलने दोगे तो, गांव में प्रदूषण होगा। हम लोग कहॉ रहेंगे। विरोध करती हूँ।

175. श्रीमती मंगली बाई, ग्राम–बतारी , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलने का विरोध करती हूँ।

176. श्री बालेन्द्र सिंह, कटघोरा विधानसभा अध्यक्ष, जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलने का विरोध करता हूँ। कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी द्वारा 10 एकड़ जमीन दिये जाने का आदेश है। तो किस आधार पर 20 एकड़ जमीन उद्योग स्थापित करने हेतु दी जा रही है। अगर आदेश का उल्लंघन हुआ है तो संबंधियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है। भू–अर्जन अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। कोलवॉशरी खुलने का विरोध करता हूँ।

177. गेंदबाई कंवर, ग्राम–बतारी , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

लोक सुनवाई की प्रकिया का विरोध करती हूँ। जनसुनवाई का विरोध करती हूँ।

178. राधा बाई, ग्राम–बतारी , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

लोक सुनवाई की प्रकिया का विरोध करती हूँ। जनसुनवाई का विरोध करती हूँ।

179. श्री दीपक कुमार श्याम, ग्राम–सिरकीखुर्द , तह.–कटघोरा, जिला–कोरबा –

पर्यावरण प्रदूषण होगा। इस कारण यह कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए। कोलवॉशरी का विरोध करता हूँ।

180. श्री जॉनकुंवर , ग्राम–बतारी , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

181. श्री हृदय लाल यादव, ग्राम–सिरकी , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

प्रदूषण संबंधी समस्या है। कोलवॉशरी का विरोध करता हूँ।

182. श्री लखन लाल कंवर, ग्राम–बतारी , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

जन सुनवाई का विरोध करता हूँ। कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

183. रामेश्वरी कंवर, ग्राम–बतारी , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

जन सुनवाई का विरोध करता हूँ। कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

184. नीरा बाई, ग्राम–बतारी , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मेरा खेत नीचे है। जन सुनवाई का विरोध करती हूँ। कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

185. कलश कुमारी, ग्राम–झिगटपुर , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मेरा खेत नीचे है। जन सुनवाई का विरोध करती हूँ। कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

186. सुकबाई , ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

जन सुनवाई का विरोध करती हूँ। कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

187. तीज कुंवर कंवर, ग्राम–बतारी , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

जन सुनवाई का विरोध करती हूँ। कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

188. उर्मिला, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

जन सुनवाई का विरोध करती हूँ। कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

189. श्री शांति कुमार कंवर, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मै चाहता हूँ कि कोलवॉशरी कि स्थापना नहीं होना चाहिए। उद्योग के आसपास पौधारोपण किया जाये। स्थानीय नेता भी ध्यान नहीं देते है।

190. श्री नरेश कुमार , ग्राम–चोहड़ा , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मैं कोलवॉशरी का समर्थन करता हूँ।

191. श्री संतोष कंवर, ग्राम–बतारी , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मै विरोध करता हूँ।

192. श्री राजकुमार पोर्ते, ग्राम–फूलझर , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मै विरोध करता हूँ।

193. श्री मिलन दास दीवान, आम आदमी पार्टी ,ग्राम–फूलझर तह. –कटघोरा, जिला–कोरबा –

मै जी.टी.पी. में नौकरी के लिए गया था, तो मुझसे मजदूर का काम लिया गया। मैं इस कोलवॉशरी का विरोध करता हूँ।

194. श्री प्रताप सिंह, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मै कोलवॉशरी का समर्थन करता हूँ।

195. श्री श्याम लाल , ग्राम–करसिला , तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

196. श्री चैन सिंह, पूर्व संरपच ग्राम–देवगांव,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

197. श्री सदीप कुमार राठिया, महाविद्यालय, दीपका तह.–कटघोरा, जिला–कोरबा –

महाविद्यालय में धूल–डस्ट आ रहा है। हमको पढ़ने में परेशानी हो रहा है। सिरकी क्षेत्र में भी प्रदूषण हो रहा है। कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

198. श्री मरखाम सिंह, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

मै समर्थन करता हूँ।

199. श्रीमती केकती बाई, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

200. श्रीमती संत बाई , ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए।

201. भरोसा बाई,श्रीमती उर्मिला, ग्राम–बतारी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

202. पुष्पा कंवर, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी का विरोध करती हूँ।

203. गीता कंवर, बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी का विरोध करती हूँ।

204. सीमा कंवर, बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी का विरोध करती हूँ।

205. छत्तन बाई, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी का विरोध करती हूँ।

206. धर्म बाई, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए।

207. जुगरी बाई, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलने का समर्थन करती हूँ।

208. धन बाई, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलने का समर्थन करती हूँ।

209. विमला बाई, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलने का समर्थन करती हूँ।

210. रमत कुमारी, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलने का समर्थन करती हूँ।

211. चंद्रिका बाई, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए।

212. मति बाई, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए।

213. फूलेश्वरी बाई, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए।

214. गौरी बाई, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए।

215. कृष्णा बाई, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए।

216. राजकुमारी, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए।

217. मनीषा बाई, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए।

218. अहिल्या बाई, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए।

219. श्री रामायण सिंह, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

220. श्री रतन सिंह, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

221. श्री विजय कुमार, ग्राम–सिरकी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

222. श्री रामभरोस, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

223. श्री गणेश राम रजक, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

224. श्री परमेश्वर, ग्राम–सिरकीखुर्द, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी बंद किया जाये।

225. श्री निलेश कुमार, ग्राम–चैनपुर, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी बंद किया जाये।

226. श्री शिवम राज, ग्राम–लिटियाखार, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

227. श्री अजीत टेकाम, ग्राम–चैनपुर , दीपका कॉलेज, तह.–कटघोरा, जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी का विरोध करते है।

228. श्री रमेश कंवर, ग्राम–लिटियाखार, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी का विरोध करते है।

229. सहन कंवर, ग्राम–तिवरता, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी का विरोध करते है।

230. श्री रूपेश मरकाम, ग्राम–कटघोरा, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी का समर्थन करता हूँ।

231. श्री उमेश उइके, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी का समर्थन करता हूँ।

232. श्री किशन जायसवाल, ग्राम–बतारी चैनपुर, तह.–कटघोरा, जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए।

233. श्री तरूण कुमार , ग्राम–बेलटिकरी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए।

234. श्री सुरेश कुमार कंवर, ग्राम–बेलटिकरी,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए।

235. श्री गणेश उईके , ग्राम–बेलटिकरी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

236. श्री बृजभूषण श्रीवास , ग्राम–तिवरता, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी का समर्थन करता हूँ।

237. श्री पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह , ग्राम–दीपका, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी का समर्थन करता हूँ।

238 श्री बजरंग सिंह , ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए।

239. श्री जितेन्द्र सिंह, श्री कुलसिंह, ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा, जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलना चाहिए।

240. श्री गोविंद नारायण सिंह ,ग्राम–तिवरता,तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलने का विरोध करते है।

241. श्री फूलबाई,ग्राम–नेहरू नगर, झिंगटपुर तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

242. श्री गोरे लाल , ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी खुलने का समर्थन करता हूँ।

243. सुकवारा बाई , ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

244. मंगली बाई , ग्राम–बतारी, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

245. छतकुंवर , ग्राम–झिंगटपुर, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

246. सुमिता बाई , ग्राम–झिंगटपुर, तह.–कटघोरा,जिला–कोरबा –

कोलवॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

247. श्री सानिध्य सोलंकी , ग्राम–दीपका, तह.–कटघोरा, जिला–कोरबा –

मै इस कोलवॉशरी का विरोध करता हूँ।

248. श्री केशर खान, ग्राम–दीपका, तह.–कटघोरा, जिला–कोरबा –

मै इस कोलवॉशरी का विरोध करता हूँ।

लोक सुनवाई के पूर्व एवं लोक सुनवाई के दौरान लिखित रुप से निम्नानुसार चिंताओं/सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुई है:–

1. **श्री लक्ष्मी चौहान, सचिव, सार्थक, कोसाबाड़ी, कोरबा –**

   1. The proposed manner of supplying water to the project entails the risk of causing serious environmental and social impacts- an issue that the EIA fails to address.
   2. The EIA contains implausible assumptions about emissions that would be associated with the project.
   3. The EIA impermissible proposes conveyance of coal to the project by heavy vehicles rather than a closed conveyor belt.
   4. The EIA impermissible contains no information about the cumulative impacts of the proposed project and other nearby coal washeries.
   5. The EIA does not consider health impacts of the project on the human habitation.

2. **श्री युवराज सिंह कंवर, सरपंच, ग्राम पंचायत–हरदीबाजार, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा**

   बतारी ग्राम में खुलने वाली कोलवॉशरी यदि पर्यावरण का ध्यान रखती है, समाजिक उत्तरदायित्व में सहयोग करती है, स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करती है, तो हमारे द्वारा इसके खुलने का समर्थन किया जाता है।

3. **श्री उमेश कुमार, ग्राम–झाबर एवं अन्य 24 झाबर ग्रामवासी तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा**

   यदि पर्यावरण नियमों के तहत् कोलवॉशरी का संचालन होता है तो क्षेत्रवासियों के हित में होगा। अतः क्षेत्रवासियों के तरफ से हम इसका समर्थन करते है।

4. **श्री मंतूराम, ग्राम–तिवरता तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा एवं अन्य 62 ग्रामवासी ग्राम–तिवरता –**

   कोलवॉशरी में हमारे गांव के युवा और बेराजगारों को काम मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा, इस कारण हम सब लोग इसका समर्थन करते है कि ग्राम–बतारी में कोलवॉशरी स्थापित किया जावे।

5. **श्री जगजीवन सिंह, ग्राम–तिवरता एवं अन्य 25 ग्रामवासी ग्राम–तिवरता, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा**

कोलवॉशरी में हमारे गांव के युवा और बेराजगारों को काम मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा, इस कारण हम सब लोग इसका समर्थन करते है कि ग्राम–बतारी में कोलवॉशरी स्थापित किया जावे।

6. **श्री गणेश कुमार कंवर, ग्राम–बिंझरी एवं अन्य 50 ग्रामवासी ग्राम–बिंझरी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा**

यदि पर्यावरण के नियमों के तहत् कोलवाशरी का संचालन होता है तो क्षेत्रवासियों के हित में होगा। हम सभी इसका समर्थन करते है।

7. **श्री नारायण सिंह कंवर, सरपंच, ग्राम पंचायत–अमगांव, जनपद पंचायत–पाली, जिला–कोरबा –**

कोलवॉशरी यदि पर्यावरण का ध्यान रखती है, समाजिक उत्तरदायित्व में सहयोग करती है, स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करती है, तो हमारे द्वारा इसके खुलने का समर्थन किया जाता है।

8. **श्री भोपेन्द्र , ग्राम–झाबर, एवं अन्य 32 ग्रामवासी , ग्राम–झाबर, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –**

यदि पर्यावरण के नियमों के तहत् कोलवाशरी का संचालन होता है तो क्षेत्रवासियों के हित में होगा। हम सभी इसका समर्थन करते है।

9. **श्री फूलदास , ग्राम–बिंझरी एवं अन्य 79 ग्रामवासी ,ग्राम–बिंझरी तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –**

यदि पर्यावरण के नियमों के तहत् कोलवाशरी का संचालन होता है तो क्षेत्रवासियों के हित में होगा। हम सभी इसका समर्थन करते है।

10. **श्री रामकुमार , ग्राम–चोढ़ा एवं अन्य 37 ग्रामवासी , ग्राम–चोढ़ा, तहसील–पाली, जिला–कोरबा –**

यदि पर्यावरण के नियमों के तहत् कोलवाशरी का संचालन होता है तो क्षेत्रवासियों के हित में होगा। हम सभी इसका समर्थन करते है।

11. **श्री राजयादव , नेहरू नगर, बतारी, एवं अन्य 03 व्यक्ति , नेहरू नगर, बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –**

यदि पर्यावरण के नियमों के तहत् कोलवाशरी का संचालन होता है तो क्षेत्रवासियों के हित में होगा। हम सभी इसका समर्थन करते है।

12. **श्री नंदकुमार , ग्राम–झाबर, एवं अन्य 81 ग्रामवासी , ग्राम–झाबर, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –**

यदि पर्यावरण के नियमों के तहत् कोलवाशरी का संचालन होता है तो क्षेत्रवासियों के हित में होगा। हम सभी इसका समर्थन करते है।

13. **अध्यक्ष एवं सचिव, शबनम स्व–सहायता समूह एवं अन्य 09 ग्राम–तिवरता तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –**

कोलवाशरी पर्यावरण नियमों का पालन करते हुए चलाई जावेगी और ग्रामवासियों को रोजगार एवं महिलाओं के विकास में सहयोग करेगी तो हमारी महिला मंडल द्वारा इसके स्थापना पर कोई आपत्ति नहीं है। हम सभी इसका समर्थन करते है।

14. **सरपंच ग्राम–लिटियाखार एवं अध्यक्ष/सचिव स्व–सहायता समूह एवं ग्राम–लिटियाखार के निवासी कुल–153 व्यक्ति, जिला–कोरबा –**

कोलवॉशरी का हम इस आधार पर समर्थन करते है कि इससे रोजगार मिलेगा एवं क्षेत्र का विकास होगा एवं प्रबंधन द्वारा पर्यावरण का ध्यान पेड़–पौधे लगाकर रखा जावेगा। हम सब समर्थन करते हुए हस्ताक्षर कर रहे है।

15. **मीरा रामशरण कंवर , सदस्य, जिला पंचायत, जिला–कोरबा –**

पर्यावरण के नियमों के तहत कोलवॉशरी का संचालन करेंगे तो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा और क्षेत्रवासियों को कोलवॉशरी के संचालन से लाभ होगा, रोजगार मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा। अतः हम कोलवॉशरी खुलने का समर्थन करते है।

16. **श्री ओमप्रकाश, ग्रम–फूलझर एवं अन्य तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –**

गंव में रोजगार मिलेगा, गांव का विकास होगा, प्रबंधन द्वारा पर्यावरण को ध्यान में रखकर कोलवॉशरी संचालित किया जाता है, तो हम सब ग्रामवासी इसके समर्थन में हस्ताक्षर कर यह पत्र आवेदन प्रेषित कर रहे है।

17. **श्री बाबूसिंह, ग्राम–बतारी एवं अन्य 84 व्यक्ति , ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –**

वॉशरी के खुलने से गांव में रोजगार मिलेगा और गांव का विकास होगा। प्रबंधन द्वारा पर्यावरण को ध्यान में रखकर कोलवॉशरी संचालित किया जाता है । हम सब लोग इसके समर्थन में हस्ताक्षर कर रहे है।

18. **श्री ईश्वर सिंह, ग्राम–बतारी, अगरिया मोहल्ला एवं अन्य 70 ग्रामवासी , ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –**

वॉशरी के खुलने से गांव में रोजगार मिलेगा और गांव का विकास होगा। प्रबंधन द्वारा पर्यावरण को ध्यान में रखकर कोलवॉशरी संचालित किया जाता है । हम सब लोग इसके समर्थन में हस्ताक्षर कर रहे है।

19. **श्री मनोज कुमार, ग्राम–बतारी, एवं अन्य 33 ग्रामवासी , ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –**

यदि पर्यावरण नियमों के तहत कोलवॉशरी संचालित किया जाता है । तो क्षेत्र मे हित में होगा। अतः क्षेत्रवासियों की तरफ से हम सब इसका समर्थन करते है।

20. **श्री नंद लाल महंत, ग्राम–बतारी, एवं अन्य 56 ग्रामवासी , ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –**

यदि पर्यावरण नियमों के तहत कोलवॉशरी संचालित किया जाता है । तो क्षेत्र मे हित में होगा। अतः क्षेत्रवासियों की तरफ से हम सब इसका समर्थन करते है।

21. **श्री मनोज , ग्राम–बतारी, एवं अन्य 40 ग्रामवासी , ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –**

यदि पर्यावरण नियमों के तहत कोलवॉशरी संचालित किया जाता है । तो क्षेत्र मे हित में होगा। अतः क्षेत्रवासियों की तरफ से हम सब इसका समर्थन करते है।

22. **गंगा देवी, ग्राम–बतारी, एवं अन्य , ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –**

ग्राम–बतारी में प्रस्तावित कोलवॉशरी का हम महिला समूह द्वारा समर्थन किया जा रहा है, इससे गांव के पुरूष एवं महिलाओं को रोजगार मिलेगा एवं हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा। अतः हम महिलाओं को कोलवॉशरी खुलने में कोई आपत्ति नहीं है। हम इसका समर्थन करते है।

23. **श्री गोरे लाल, नेहरू नगर बसाहट एवं अन्य 36 ग्रामवासी , नेहरू नगर बसाहट, जिला–कोरबा –**

यदि पर्यावरण नियमों के तहत कोलवॉशरी संचालित किया जाता है । तो क्षेत्र मे हित में होगा। अतः क्षेत्रवासियों की तरफ से हम सब इसका समर्थन करते है।

24. **श्री घनश्याम, खोरगापारा एवं अन्य 37 ग्रामवासी , खोरगापारा, जिला–कोरबा –**

गांव में रोजगार मिलेगा, गांव का विकास होगा। प्रबंधन द्वारा पर्यावरण को ध्यान में रखकर कोलवॉशरी का संचालन किया जाता है । हम सभी गांव के लोग इसका समर्थन करते है।

25. **श्री रमेश उइके, एवं अन्य 102 ग्रामवासी , ग्राम–चैनपुर, जिला–कोरबा –**

यदि पर्यावरण नियमों के तहत कोलवॉशरी संचालित किया जाता है । तो क्षेत्रवासी के हित में होगा। अतः क्षेत्रवासियों की तरफ से हम सब इसका समर्थन करते है।

26. **श्रीमती शिवकुमारी, सरपंच, ग्राम पंचायत–सरईश्रृंगार, जिला–कोरबा –**

बतारी ग्राम में खुलने वाली कोलवॉशरी यदि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए समाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में काम करती है एवं जनहित के कार्य, स्थानीय बेराजगारों को रोजगार प्रदान करती है तो हमारे पंचायत को वॉशरी खुलने में कोई आपत्ति नहीं है। हम इसका समर्थन करते है।

27. **श्रीमती दूजकुंवर मरकाम, ग्राम पंचायत–तिवरता जिला–कोरबा –**

कोलवॉशरी के स्थापना से हमारे गांव के पढ़े–लिखे व्यक्तियों एवं बेराजगारों युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा, इस बात को ध्यान में रखकर सभी ने निर्णय लिया है कि कोलवॉशरी स्थापित किया जावे। हम इसका समर्थन करते है।

28. **श्रीमती हीना कंवर, सरपंच, ग्राम पंचायत– बतारी, जिला–कोरबा –**

कोलवाशरी की स्थापना से हमारे गांव के पढ़े लिखे व्यक्तियों एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा तथा गांव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। इस बात को ध्यान में रखकर सभी ने निर्णय लिया है कि कोलवॉशरी स्थापित की जावे, हम इसका समर्थन करते है।

29. **सरपंच, ग्राम पंचायत–सिरकीखुर्द, जिला–कोरबा –**

कंपनी द्वारा क्षेत्र के लोगों को रोजगार व पर्यावरण तथा क्षेत्र का विकास व सामाजिक कार्य करती है तो हम सभी ग्रामवासी कोलवॉशरी खुलने में सहमति प्रदान करते है। हमारे गांव को कोई आपत्ति नहीं है।

30. **श्री मिलाप सिंह कंवर, ग्राम पंचायत–झाबर , जिला–कोरबा –**

कोलवाशरी की स्थापना से हमारे गांव के पढ़े लिखे व्यक्तियों एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा तथा गांव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। इस बात को ध्यान में रखकर सभी ने निर्णय लिया है कि कोलवॉशरी स्थापित की जावे, हम इसका समर्थन करते है।

31. **श्रीमति सहोदरा उइके, ग्राम पंचायत–लिटियाखार , जिला–कोरबा –**

ग्राम–बतारी में सी.जी. कोल एण्ड पॉवर लि. के द्वारा कोलवॉशरी स्थापना किया जाना है। इस संबंध में हमारे ग्राम पंचायत के ग्रामिणों एवं पंचो

से चर्चा किया गया। चूंकि इस क्षेत्र में काफी बेरोजगार युवक है और इस आशय के साथ की युवकों को रोजगार प्राप्त होगा। इसे आवश्यकता समझकर क्षेत्र की विकास को देखते हुए इस कोलवॉशरी के खुलने का समर्थन करते है। हमारे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

32. **श्री इन्द्र सेन राज, सरपंच, ग्राम पंचायत–देवगांव, जिला–कोरबा –**

कोलवाशरी की स्थापना से ग्राम के विकास में मूलभूत सुविधाओं एवं रोजगार की उपलब्धता के लिए सभी ने आवश्यक समझकर अपना पूर्ण समर्थन दिया है। अतः हमारे पंचायत देवगांव की ओर से कोई कोलवॉशरी खुलने में कोई आपत्ति नहीं है।

33. **श्रीमति बैशाखा मरकाम, सरपंच,ग्राम पंचायत–रंजना, जिला–कोरबा –**

कोलवॉशरी स्थापना से गांव के मूलभूत सुविधाओं का विकास होगा, रोजगार उपलब्ध होंगे। अतः ग्राम पंचायत रंजना को कोलवॉशरी खुलने से कोई आपत्ति नहीं है।

34. **श्री शत्रुघन सिंह राज, सभापति, जनपद पंचायत–कटघोरा , जिला–कोरबा –**

मेसर्स सी.जी. एण्ड पॉवर लि. द्वारा क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार देने एवं पर्यावरण की रक्षा हेतु वृक्षारोपण करती है तो इस कोलवॉशरी की स्थापना पर जनपद पंचायत कटघोरा को कोई आपत्ति नहीं है। इससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा।

35. **श्री संजय गुप्ता, प्राचार्य इंडस पब्लिक स्कूल, दीपका, जिला–कोरबा –**

वॉशरी लगने से यहॉ का वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। वॉशरी से निकलने वाले धूल एवं धुएँ से बच्चों को तरह–तरह की बीमारियों का खतरा होगा। वॉशरी से उत्पन्न होने वाले तीव्र ध्वनि से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। निरंतर भारी ट्रांसपोर्टिंग के कार्य में लगे वाहनों से यहॉ बच्चो की सुरक्षा प्रभावित होगी। निरंतर भारी वाहनों के परिचालन से बच्चों एवं अभिभावकों को सदा दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहेगी।

स्कूल के निर्माण बच्चों के स्वास्थ एवं पढ़ाई हेतु उपर्युक्त वातावरण का ध्यान रखने हुए शांत स्थान पर किया गया है। ऐसे में विद्यालय के समक्ष वॉशरी निर्माण कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना कदापि उचित न होगा। उपर्युक्त बातों का संज्ञान लेते हुए कोलवॉशरी निर्माण की अनुमति प्रदान न करें।

36. **श्री नंदलाल सिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत–रलिया एवं अन्य 08 व्यक्ति, वि.ख.–कटघोरा, जिला–कोरबा –**

इस क्षेत्र में दीपका, गेवरा जैसी बड़ कोयला खदाने एवं कई कोलवाशरी आसपास है, जिसके दुष्परिणाम सामने है। कोल का परिवहन मेन पब्लिक रोड से हो रहा है, जिसके कारण धूल–डस्ट एवं आये दिन दुर्घटनाएँ आपके सामने है। यह सड़क बिलासपुर–कोरबा की मेन मार्ग है। परन्तु आवागमन की दृष्टि से अब असुरक्षित है। इस मार्ग से बच्चे पढ़ने जाते है। परिवहन की वजह से उनके पढ़ाई पर दुष्प्रभाव पड़ता है। दिन–रात हम अनेक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। कोयले के परिवहन से सड़क जर्जर हो गये है। दिन में आवागमन में प्रदूषण के कारण रास्ता नहीं दिखता,तो रात में शोर के वजह से नींद नहीं आती। घरों में कपड़ों , सब्जियों में धूल–डस्ट की परत जम गई है, जो स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। यह वाशरी खुलने और समस्या बढ़ जायेगी। जिससे आम लोग का जीवन यापन दुर्भर हो जायेगा। प्रस्तावित वॉशरी स्कूल के समीप है, जिसका प्रभाव स्कूल के बच्चों पर पड़ेगा एवं उनके स्वास्थ्य एवं दुर्घटना की संभावना बढ़ जायेगी, जो राष्ट्र के भविष्य है। वॉशरी खुलने से आसपास के गांव में इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। नजदीक में वॉशरी होने से शोर से ध्वनि प्रदूषण एवं पर्यावरण प्रभावित होगा। अतः उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वॉशरी खोला जाना उचित नहीं होगा।

37. **श्री मुकेश कुमार एवं अन्य 64 व्यक्ति ग्राम–बतारी तहसील–कटघोरा , जिला–कोरबा –**

जिस स्थल पर कोलवाशरी खोली जा रही है, वह पंचायत सड़क से लगा हुआ है, जिसमें प्रतिदिन 35–40 गांव के लोग अपने जीवन–यापन के लिए एसईसीएल की खदान एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्र में काम करने जाते है। प्रस्तावित वॉशरी की 100मीटर की दूरी पर ग्राम–बेलटिकरी एवं चैनपुर को बसाहट दिया गया है। 1.200 कि.मी. की दूरी पर ग्राम–बरेली, मलगॉव, अमगांव एवं झिंगटपुर को बसाहट दिया गया है एवं 400 मीटर की दूरी पर

ग्राम–सिरकी, बाधारपानी एवं गांधीनगर को बसाहट दिया गया है एवं ग्राम पंचायत की आश्रित नवापारा, जूनापारा, आमापारा एवं खडियापारा प्रस्तावित कोलवॉशरी स्थल से लगा हुआ है। लाईनपारा एवं ग्राम– तिवरता कुछ ही दूरी पर है। ग्राम बतारी में कोलवॉशरी के खुल जाने से कोयला डस्ट एवं धूऑ के कारण वातावरण प्रदूषित हो जायेगा और उक्त ग्रामवासियों को जीवन–यापन के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वॉशरी का रसायनिक युक्त गंदा पानी खेत में बहाने से एवं कोयला डस्ट के कारण लगभग 800 से 900 एकड जमीन की फसल नष्ट हो जायेगी एवं जमीन बंजर हो जायेगी। ग्राम बतारी के आदिवासियों को मुख्य धंधा खेती–किसानी एवं पशुपालन है। वॉशरी के खुलने से गोचर भूमि कोलडस्ट के कारण नष्ट हो जायेगी। इस कारण खेती करने एवं पशुपालन करने में कठिनाई आयेगी। प्रस्तावित कोलवॉशरी के पास में इंडस स्कूल है, शासकीय महाविद्यालय, दीपका है। कोलवॉशरी खुलन से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकुल प्रभाव पडेगा एवं वाहनों की अधिकता के कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी। अतः उक्त कठिनाइयों एवं समस्याओं को देखते हुए कोलवॉशरी का विरोध एवं आपत्ति करते है।

38. **श्री फूलेश्वर प्रसाद सूरजईहा, समाजसेवी, ग्राम–गजरा, तहसील–कटघोरा , जिला–कोरबा –**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपने ड्राफ्ट रिपोर्ट(समरी) में पर्यावरण मानदण्ड, स्थानीय लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण से प्रशिक्षित कर रोजगार देने की पेशकश किया गया है वह स्वागत योग्य है। वॉशरी परिसर में अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

39. **श्री बसंत कुमार बघेल, एवं अन्य क्षेत्रवासी, जिला–कोरबा –**

बतारी कोलवॉशरी को चालू करवाया जावे ताकि हमारे आसपास के हजारों युवा बेरोजगारों लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि बरोजगारी को देखते हुए कोलवॉशरी चालू करवाया जावे।

40. **श्री अरूण रात्रे एवं अन्य क्षेत्रवासी, जिला–कोरबा –**

हम ग्राम–बतारी में खुलने वाली कोलवॉशरी खुलने का समर्थन करते है।

41. **श्रीमती हिना कंवर, सरपंच ग्राम पंचायत–बतारी , जिला–कोरबा –**

जिस स्थल पर कोलवाशरी खोली जा रही है, वह पंचायत सड़क से लगा हुआ है, जिसमें प्रतिदिन 35–40 गांव के लोग अपने जीवन–यापन के लिए एसईसीएल की खदान एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्र में काम करने जाते है। यह आम रास्ता है। आने–जाने में कठिनाईहोगी। इस संबंध में निवेदन है कि कोलवॉशरी से कोयला ढुलाई के लिए अलग से सडक बनाई जावे। प्रस्तावित वॉशरी की 100मीटर की दूरी पर ग्राम–बेलटिकरी एवं चैनपुर को बसाहट दिया गया है। 1.200 कि.मी. की दूरी पर ग्राम–बरेली, मलगॉव, अमगांव एवं झिंगटपुर को बसाहट दिया गया है एवं 400 मीटर की दूरी पर ग्राम–सिरकी, बाधारपानी एवं गांधीनगर को बसाहट दिया गया है एवं ग्राम पंचायत की आश्रित ग्राम नवापारा,जूनापारा, आमापारा एवं खडियापारा प्रस्तावित कोलवाशरी से लगा हुआ है।उक्त ग्रामों के लिए सड़क, पाठशाला भवन एवं बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण, पेयजल हेतु टयूबवेल का निर्माण, तालाब का पचरीकरण, एवं सांस्कृतिक कार्यकम के लये मंच का निर्माण किया जाए एवं ग्राम पंचायत बतारी के सभी बेरोजगारों का रोजगार दिया जाए।

42. **श्री तनवीर अहमद, अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, दीपका जिला–कोरबा –**

मेसर्स सी.जी. कोल एण्ड पॉवर लि. ग्राम –बतारी में कोलवॉशरी की स्थापना की जा रही है। यह पूर्णतः नियम विरूद्ध स्थापित किया जा रहा है। उद्योग प्रबंधन द्वारा कोलवॉशरी स्थापित करने हेतु अर्जित की गई भूमि नियम विरूद्ध है, जिसकी जांच नियमानुसार कराया जावे।

43. **श्रीमती लता कंवर, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, कटघोरा, जिला–कोरबा –**

जिस स्थल पर कोलवाशरी खोली जा रही है, वह पंचायत सड़क से लगा हुआ है, जिसमें प्रतिदिन 35–40 गांव के लोग अपने जीवन–यापन के लिए एसईसीएल की खदान एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्र में काम करने जाते है। यह आम रास्ता है। आने–जाने में कठिनाईहोगी। इस संबंध में निवेदन है कि कोलवॉशरी से कोयला ढुलाई के लिए अलग से सडक बनाई जावे। प्रस्तावित वॉशरी की 100मीटर की दूरी पर ग्राम–बेलटिकरी एवं चैनपुर को बसाहट दिया गया है। 1.200 कि.मी. की दूरी पर ग्राम–बरेली, मलगॉव, अमगांव एवं

झिंगटपुर को बसाहट दिया गया है एवं 400 मीटर की दूरी पर ग्राम–सिरकी, बाधारपानी एवं गांधीनगर को बसाहट दिया गया है एवं ग्राम पंचायत की आश्रित ग्राम नवापारा,जूनापारा, आमापारा एवं खडियापारा प्रस्तावित कोलवाशरी से लगा हुआ है।उक्त ग्रामों के लिए सड़क, पाठशाला भवन एवं बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण, पेयजल हेतु टयूबवेल का निर्माण, तालाब का पचरीकरण, एवं सांस्कृतिक कार्यकम के लिये मंच का निर्माण किया जाए एवं ग्राम पंचायत बतारी के सभी बेरोजगारों का रोजगार दिया जाए।

44. श्री आलोक शुक्ला, संयोजक, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, शंकर नगर, रायपुर –

पहले से ही प्रदूषण से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्र में नये परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान नहीं की जानी चाहिए। वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को डाटा और अंकों के माध्यम से छुपाया गया है। जल स्त्रोंत पर अतिरिक्त जल आपूर्ति का दबाव एवं प्राकृतिक बहाव पर दुष्प्रभाव पडेगा। रॉ–कोल, वॉश्ड कोल तथा रिजेक्ट कोल के परिवहन के संबंध में भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की गई है। वनों तथा वन्य जीवों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव, रिजेक्ट कोयले का किस सी.एफ.बी.सी. पॉवर प्लांट को उपलब्ध करवाया जाएगा यह जानकारी नहीं दी गई है, केवल ऑरेन्ज केटेगिरी में शामिल कर दिए जाने से इस तरह के परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित रखने तथा रोकथाम से संबंधित उपायों की कमी ।

45. श्री ईश्वर आरमेक्शन, जिलाध्यक्ष, युवा प्रभाग गोडवाना गणतंत्र पार्टी, जिला–कोरबा –

कोरबा जिला पॉचवी अनुसूची 244(1) के तहत् आदिवासी क्षेत्रों में गाम सभा की अनुमति के बगैर किसी भी प्रकार का निर्माण व उद्योग लगाया जाना असवैधानिक है। अतः ग्राम–बतारी में प्रस्तावित सी.जी. कोल एण्ड पॉवर लिमिटेड की वॉशरी एवं पॉवर प्लांट खोला जाना असवैधानिक है। इसे खुलने नहीं दिया जाये, क्योंकि ग्राम सभा की अनुमति नहीं है। फर्जी अनुमति लिया गया है। ग्राम बतारी एवं उसके आसपास अन्य उद्योग पूर्व से लग चुके है और एसईसीएल की खदाने भी है और पर्यावरण प्रदूषण और औद्योगिक गतिविधी के कारण किसानों की खेती में भारी गिरावट आई है, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई भी हुई है, इससे पर्याप्त वर्षा

नहीं होने से अकाल की स्थिति आ जाती है। प्रस्तावित कोलवॉशरी के समीप ग्राम बतारी, नेहरू नगर, झााबर, सिरकी, देवगांव, फुलझर, रंजना, तिवरता, रैनपुर, लिटियाखार आसपास के गांव को पर्यावरण प्रदुषण से बिमारियों से प्रभावित हो सकता है। समीप में विभिन्न स्कूल संचालित है, जिसमें पढ़ने वालों बच्चें को पढ़ने लिखने एवं स्वास्थ्य प्रभाव पड़ेगा। अतः कोल वॉशरी नहीं खुलने दिया जाये।

46. मेलनबाई, उप सरपंच, ग्राम पंचायत सिरकीखुर्द एवं महिला ग्राम विकास एवं निर्माण समिति एवं अन्य ग्राम पंचायत गांधीनगर, सिरकीखुर्द, जिला–कोरबा –

ग्राम पंचायत बतारी में नई कोलवॉशरी स्थापित की जा रही है, इसके पूर्व एसईसीएल कंपनी द्वारा हमारे क्षेत्र में (गेवरा–दीपका) खदान से कोयला उत्पादन व विस्तारण की प्रकिया संचालित की जा रही है, जिसके फलस्वरूप हम क्षेत्रवासी विस्थापन से लेकर रोजगार व प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं से ग्रस्त व संघर्षरत है। बनिस्पत एसईसीएल द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व की नीति के तहत प्रभावित व आश्रित ग्रामों की स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पेयजल, आवागमन पूर्ण लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई है।

वर्तमान में बतारी मे छ.ग. कोल पॉवर लिमिटेड, रायपुर द्वारा नए उद्योग लगाए जाने से पुनः विभिन्न समस्याओं जिसमें वातावरण प्रदूषण भारी वाहनों का आवागमन , भूमिगत जल स्त्रोंतो का दोहन से जल स्तर में कमी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से क्षेत्रवासी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे।

निजील कंपनी द्वारा उपरोक्त समस्याओं के उचित समाधान व निवारण करते हुए स्थानीय बेरोजगारों युवाओं का कार्य में नियोजन, महिला सशक्तिकरण में सहयोग, वृक्षारोपण सिरकी मोड़ से तिवरता मार्ग में विद्युतीकरण करने के दायित्व का निर्वहन हेतु शाासन के साथ संकल्पित होंगे, तदनुपरांत कंपनी को कार्य प्रारंभ करने की अनुमति व सहमति प्रदान की जाए।

47. अरूणा चन्द्राकर, आदर्श महिला स्व सहायकता समूह एवं अन्य–21 क्षेत्रवासी, ग्राम–सिरकीखुर्द, जिला–कोरबा –

यदि पर्यावरण नियमों के तहत कोलवॉशरी का संचालन होता है, तो क्षेत्रवासी के हित में होगा। अतः क्षेत्रवासियों के तरफ से हम सभी द्वारा इसका समर्थन करते है।

48. **श्री प्रताप सिंह, नेहरू नगर, बतारी एवं अन्य 22 क्षेत्रवासी, जिला–कोरबा –**

बतारी(नेहरू नगर) कोरबा में खुलने वाले कोलवॉशरी का समर्थन करते हैं, क्योंकि हमें रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा।

49. **श्री कृष्णा कुमार एवं अन्य क्षेत्रवासी, जिला–कोरबा –**

यदि पर्यावरण नियमों के तहत कोलवॉशरी का संचालन होता है, तो क्षेत्रवासी के हित में होगा। अतः क्षेत्रवासियों के तरफ से हम सभी द्वारा इसका समर्थन करते है।

50. **राजकुमारी एवं अन्य –47 ग्रामवासी ग्राम– बिंझरी, जिला–कोरबा –**

वॉशरी वाले यदि पेड़ पौधे लगाएंगे और आसपास के लोगों को रोजगार देंगे, तब हम इसके खुलने के पक्ष में है और हमको कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए पत्र द्वारा हस्ताक्षर करके आपको सूचित करते है कि वृक्षारोपण करवाये।

51. **राखी बाई एवं अन्य ग्रामवासी, लिटियाखार एवं तिवरता, जिला–कोरबा –**

नेहरू नगर, बतारी कोरबा में खुलने वाली कोलवॉशरी का समर्थन करते है, क्योंकि हमें रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा।

52. **श्री रमेश सिंह श्याम एवं अन्य क्षेत्रवासी, ग्राम–तिवरता एवं नेहरू नगर, बतारी, जिला–कोरबा –**

बतारी नेहरू नगर, कोरबा में खुलने वाली कोलवॉशरी का समर्थन के पक्ष में विकास और रोजगार बाबत। हम समर्थन करते है, कोलवॉशरी खुलना चाहिए।

53. **वंदना लहरे एवं अन्य क्षेत्रवासी, ग्राम–तिवरता,लिटियाखार एवं नेहरू नगर जिला–कोरबा –**

नेहरू नगर, बतारी कोरबा में खुलने वाली कोलवॉशरी का समर्थन करते है, क्योंकि हमें रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा।

54. **श्री बंशी दास महंत, जिला सचिव, जनता कांग्रेस, ग्राम– विजय नगर, पो.–गेवरा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा –**

ग्राम–बतारी में एक नई कोल वॉशरी खुल रही है। भूतकाल में क्षेत्र में कई खदान, वॉशरी एवं पॉवर प्लान्ट स्थापित हुए किन्तु उन्होने 90 प्रतिशत लोकल स्थानीय निवासियों को रोजगार नहीं दिया जाता है एवं पर्यावरण को

नुकसान पहुंचाते है। अतः हमारी मांग है कि यह कोलवॉशरी खुलने की अनुमति तभी दी जावे, जब प्रबंधन लिखकर देवें कि– कोलवॉशरी में 90 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, स्थानीय निवासियों को स्वयं के खर्चे पर ट्रेनिंग करवाकर भर्ती करेंगे, पर्यावरण नियमों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे, कर्मचारियों को शासकीय नियमानुसार वेतन मजदूरी एवं अन्य सुविधा उपलब्ध करायेंगे, कर्मचारियों को कार्य अवधि 'कार्मिक नियमों' के अनुसार 8 घण्टे की हो एवं 1 दिन का सप्ताहिक अवकाश मिले।

55. **श्री लखन दास महंत एवं अन्य–17 क्षेत्रवासी, ग्राम–तिवरता, जिला–कोरबा –**

बतारी नेहरू नगर(कोरबा) में खुलने वाले कोलवॉशरी काह म सभी निम्नलिखित लोग समर्थन करते है, इससे हमारे क्षेत्र का विकास व रोजगार प्राप्त होगा।

56. **श्री संजय कुमार एवं अन्य–23 क्षेत्रवासी,ग्राम–तिवरता,जिला–कोरबा –**

बतारी नेहरू नगर, कोरबा में खुलने वाले कोलवॉशरी के समर्थन करते है, क्योंकि हमें रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा।

57. **श्री नवरतन सिंह एवं अन्य क्षेत्रवासी, ग्राम–फूलझर(देवगांव) जिला–कोरबा –**

नेहरू नगर बतारी में खुलने वाली कोलवॉशरी का समर्थन करते है, क्योंकि हमें रोजगार मिलेगा एवं क्षेत्र का विकास होगा।

58. **श्री सुरेन्द्र प्रसाद राठौर,अध्यक्ष, ऊर्जाधानी भू–विस्थापित कल्याण समिति, ग्राम–मठोरा, तह.–कटघोरा, जिला–कोरबा –**

ग्राम बतारी में कोलवॉशरी जो मेसर्स सी.जी. कोल एण्ड पावर लि. के मान से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, इसके जन सुनवाई में हमारी समिति निम्न आपत्ति दर्ज कराती है –

1. यह क्षेत्र संविधान के पांचवी अनुसूची के तहत घोषित अनुसूचित क्षेत्र है, यहां पेसा एक्ट प्रभावशील है, जिसके धारा 4(झ) के बिन्दु क.– 3(1) अनुसार भू–अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 के तहत अधिग्रहणा की अधिसूचना जारी करने से पहले ग्रामसभा से परामर्श लिया जाएगा और उसके बाद ही भूं–अर्जन की कार्यवाही की जाएगी। पेसा कानून के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी ग्रामू सभा के लिए वहां कुल मतदाता की संख्या की 1/3 कम से कम उपस्थिति होनी चाहिए और 1/3 संख्या

महिलाओं की होनी चाहिए। इस परियोजना के लिए जो विशेष ग्राम सभा दिनांक 16.06.2004 को स्थान प्रा.शा.भवन बतारी में आयोजित की गई थी, उसमें ग्राम सभा को कोरम को पूर्ण नहीं किया गया था।

2. इस कोलवॉशरी का निर्माण स्थल से नजदीक नेहरू नगर है, जिसमें एसईसीएल द्वारा पूर्व में विस्थापित ग्राम बेलटिकारी , झिकटपुर के सैकड़ों परिवार को बसाया गया है। नेहरू नगर पुर्नवास ग्राम वासरी से उड़ने वाले धुल से पूरी तरह से प्रभावित होगी।

इस प्रस्तावित कोलवॉसरी पर हमारी समिति आपत्ति दर्ज कराती है और मांग करते है कि इस कोलवॉसरी की स्थापना आबादी क्षेत्र से कम से कम 10 कि.मी. की दूरी पर स्थापित किया जाए।

59. श्री सुरेश सोनी एवं अन्य ग्राम–झाबर एवं सिरकी, जिला–कोरबा –

नेहरू नगर बतारी में खुलने वाली कोलवॉशरी का समर्थन करते है, क्योंकि हमें रोजगार मिलेगा एवं क्षेत्र का विकास होगा।

60. श्री मेलन बाई गोंड एवं अन्य ग्राम–सिरकी एवं झाबर, जिला–कोरबा –

हम सभी ग्रामीण जन स्थानीय विकास और रोजगार को महत्व देते हुए नेहरू नगर बतारी में खुलने वाले कोलवॉशरी काा समर्थन करते है।

61. श्री जगदीश प्रसाद एवं समस्त ग्रामवासी– चैनपुर बसाहट बतारी, वि. खं.–कटघोरा, जिला–कोरबा –

कोरबा जिला में ग्राम बतारी में कोल वॉशरी हेतु जन सुनवाई रखा गया है, इस कोल वॉशरी के खुलने से हमारे ग्राम–चैनपुर के लोग वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण(धूल–डस्ट) से लोग ग्रसित होगें, क्योंकि ग्राम–चैनपुर परियोजना स्थल के बहुत नजदीक है। वर्तमान में आसपास जितने भी कोलवॉशरी या पॉवर प्लांट स्थापित है, उनको जो पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है, किसी प्लान्ट या वॉशरी पालन नहीं कर रहा है, जिसके कारण यह क्षेत्र पूरी तरह से प्रदूषण से ग्रसित है। इस वॉशरी के खुलने से आसपास के खेत गांव प्रदूषित होगा और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव होगा। अतः हम समस्त ग्रामवासी मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का पूर्ण रूप से विरोध करते है। हमारी बातों को संज्ञान में लेते हुए जन सुनवाई को निरस्त करने की कृपा करें।

62. **श्री अनूप यादव, उपाध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, दीपका वि.खं. –कटघोरा, जिला–कोरबा –**

ग्राम–बतारी , थाना–दीपका, जिला–कोरबा में खुलने वाली कोल वॉशरी आम जन मानस के लिए हानिकारक है। इस कोलवॉशरी के खुलन से ग्राम बतारी एवं आसपास के सभी लोगों को अनेक प्रकार के स्वास्थ्य एवं प्रदूषण संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आसपास के कई ग्राम, स्कूल, ऑगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र आदि इस कोलवॉशरी के स्थापित होने से प्रभावित होंगे। अतः आपसे आग्रह है कि ग्राम बतारी में स्थापित होने वाली कोलवॉशरी को रोक लगाने का कष्ट करें।

63. **श्री मिलन दास दीवान, आम आदमी पार्टी, विधान सभा क्षेत्र, कटघोरा एवं समस्त प्रभावित ग्रामवासी, जिला–कोरबा –**

इन क्षेत्रों में पहले से पॉवर प्लांट एवं कोलवॉशरी स्थापित है, इन कंपनियों द्वारा कंपनी खुलनेसे पहले, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, क्षेत्र में होने वाली प्रदूषण एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर वादा तो किया जाता है, पर कंपनी खुल जाने के बाद वादों पर अमल नहीं किया जाता, एक तो हमारी जमीन चली जाती है, हमें कई तरह की समस्याओं का समना करना पड़ता है, नियम के विरूद्ध इस क्षेत्र में कंपनी का संचालन किया जाता है, आए दिन दुर्घटना कि आशंका बनी रहती है, पहले से इस क्षेत्र में कई कंपनियां स्थापित है, हमारा अनुभव इन कंपनियों के प्रति कड़वा रहा है, इसलिए ग्राम पंचायत बतारी में किसी भी तरह कि कोलवॉशरी कंपनी एवं अन्य कंपनी खुल पाना संभव नहीं है।

64. **श्री व्ही.एन.शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष , राष्ट्रीय कॉलरी मजदूर कांग्रेस, श्रमिक सदन विद्या नगर, मेन रोड, बिलासपुर –**

जिस स्थल पर कोलवॉशरी लग रही है। स्थान चयन को लेकर मेरे मन में भयावह/गंभीर डर पैदा हो रहा है। जैसा कि हम जानते है कोरबा जिला अति प्रदूषण कारी क्षेत्र में आता है तथा कोरबा जिला पूरे भारत में अतिप्रदूषणकारी क्षेत्र में पांचवे स्थान में था। तत्पश्चात पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा किसी भी नये उद्योग लगाने के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। ततपश्चात एक अन्य स्टडी रिपोर्ट जो कि वर्ष 2014–15 में आई थी। इस स्टडी रिपोर्ट के आधार पर भी कोरबा जिला पूरी तरह से अतिप्रदूषणकारी क्षेत्र में बना रहा है। इस जगह में जहॉ पर पहले से

ही प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है। वहॉ किसी नये उद्योग को लगाने की अनुमति देना पूरी तरह से यहां निवासरत् आम जन लोगों के जीवन से खिलवाड करने जैसा होगा। यह कोलवॉशरी किसी अन्य जगह पर यहां से लगभग 20–25 कि.मी. की दूरी पर स्थानानतरित किया जावें। कोल वॉशरी जिस स्थान पर लग रही है, उस स्थान के निकट स्कूल संचालित है। जहां पर 400–500 छोटे–छोटे बच्चें अध्ययन के लिए आते है। उक्त प्रदूषण का असर बच्चों पर सीधे पड़ेगा। अतः कोलवॉशरी किसी अन्यत्र जगह स्थापित की जावे। उद्योग का लगना यू तो सौभाग्य की बात होती है, लेकिन अगर उद्योग किसी ऐसी जगह पर लग रहा हो जहां पहले से ही निवासरत ग्रमवासी या लोग प्रदूषण की समस्याओं से त्राहि–त्राहि कर रह है। इस स्थिति में अगर वहां किसी नये उद्योग को लगाने कि अनुमति देने का सीधा मतलब होता है कि आम जन भावनाओं की अनदेखी की जा रही है तथा मानवीय संवेदनाओं का गला घोटा जा रहा है और महज उद्योग के दबाव एवं पैसो के खातिर उन्हें प्रदूषणकारी हवा या प्रदूषणकारी जहर पिलाकर मारने की साजिश की जा रही है इसलिए मानवीय जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उद्योग को किसी अन्यत्र जगह पर स्थानांतरित करें । कोरबा जिला अत्यन्त प्रदूषणकारी क्षेत्र में आता है। पर्यावरण मंउल छ.ग. एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा प्रदूषण स्तर जानने के लिए 2009 में स्टडी रिपोर्ट कराई गई। इस रिपोर्ट के ऑकड़े के आधार पर कोरबा जिला अत्यन्त प्रदूषणकारी क्षेत्र अर्थात पूरे भारत में पॉचवे स्थान पर था। प्रदूषण रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण का स्तर सी.ई.पी.आई. के आधार पर 83 प्रतिशत था। इस रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार द्वारा किसी नये उद्योग के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए रोक लगा दी थी। इसके बाद एक अन्य रिपोर्ट जो कि आई.टी.आई., खडगपुर के अध्ययन पर आई थी, जिसमें इसका प्रदूषण स्तर सी.ई.पी.आई. 75.5 प्रतिशत था, जो कि अति प्रदूषण्कारी सीमा सी.ई.पी.आई. 60 प्रतिशत से कहीं ज्यादा था। वर्तमान में ज्ञात जानकारी के अनुसार इसी तरह का अध्ययन पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आई.आई.टी., बाम्बे के द्वारा वर्ष 2016–17 में कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। यहां प्रदूषण के कारण आसपास निवासरत लोगों में फेफड़ों एवं दिल से संबंधित गंभीर रोगों में इजाफा हुआ है। इन सब परिस्थितियों के बावजूद हम सबको आश्चर्य होता है कि कैसे पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा

किसी नये उद्योग के मंजूरी हेतु कार्यवाही की जा रही है, इस नये उद्योग के लगने के कारण निश्चय ही प्रदूषण में भारी मात्रा में बढ़ोत्तरी होगी। तथा पहले से ही दंश झेल रहे आम लोगों को मौत के मुंह में भेजने जैसा होगा। इसलिए मैं शासन/पर्यावरण संरक्षण मंडल से आग्रह करता हूँ कि यह उद्योग यहां न लगाकर उद्योग को अन्य जगह पर स्थानांतरित करें। अगर यह उद्योग यहां से 20–25 कि.मी. दूर लगता है, जहां प्रदूषण का दबाव कम है, वहां लगे ताकि प्रदूषण की समस्याओं से होने वाली गंभीर बीमारियों से आम लोगो के जन जीवन में कम से कम प्रभाव हो। प्राप्त दो अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर यह क्षेत्र पूर्णतया अति प्रदूषणकारी क्षेत्र में आता है, इस कारण से यहां निवासरत लोगों को पहले से फेफड़ों एवं दिल से संबंधित अनेक रोग जकड़े हुए है। जिसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग के ऑकड़ो से होती है। इस परिस्थिति में नवीनतम की गई स्टडी रिपोर्ट के ऑकड़ो को सार्वजनिक किये बगैर कैसे नये उद्योग लगाने की अनुमति के लिए कार्यवाही की जा रही है। अगर इस रिपोर्ट से जो कि आने वाली है से भी यह पुष्टि हो जाती है, अगर इस रिपोर्ट से जो कि आने वाली है से भी यह पुष्टि हो जाती है कि कोरबा क्षेत्र पूर्वतया अति प्रदूषणकारी क्षेत्र में बना हुआ है तथा और किसी नये उद्योग को सहन नहीं कर सकता है और अनुमति दी जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। वर्तमान परदृश्य को देखते हुए निश्चय ही यह अति प्रदूषणकारी मानक स्तर सी.ई.पी.आई.(कम्प्रेहन्सीव इन्वायरमेंट पॉल्युशन इंडेक्स) 74 प्रतिशत था। अतः इन परिस्थिति को देखते हुए, जब तक आई.आई.टी. बाम्बे के द्वारा स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती है, तब तक यह जन सुनवाई स्थगित किया जाये। यह कि रिपोर्ट का परिणाम आने के बाद ही जन सुनवाई का कार्य सुनिश्चित करें।

65. **श्री रेशमलाल यादव, अध्यक्ष, कोयला मजदूर सभा (हिन्द मजदूर सभा), गेवरा–दीपका क्षेत्र, जिला–कोरबा**

ग्राम–बतारी, थाना दीपका, जिला–कोरबा में खुलने वाली कोलवाशरी के खुलने वाली कोलवॉशरी आम जनमानस के लिए हानिकारक है। इस कोल वॉशरी के खुलने से ग्राम–बतारी एवं आसपास के सभी लोगों को अनेक प्रकार के स्वास्थ्य एवं प्रदूषण संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आसपास के कई ग्राम, स्कूल, ऑगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र आदि इस

कोलवॉशरी के स्थापित होने से प्रभावित होंगे। अतः आपसे आग्रह है कि ग्राम बतारी में स्थापित होने वाली कोलवॉशरी को रोक लगाने का कष्ट करें।

66. **श्री मुकेश जायसवाल, उप सरपंच, ग्राम पंचायत–झाबर, जनपद पंचायत– कटघोरा जिला–कोरबा–**

बतारी ग्राम के आसपास 2 कि.मी. में ग्राम– झाबर में शासकीय महाविद्यालय है एवं सरकारी एवं प्राईवेट स्कूल है, एवं बतारी से मेन रोड तिवरता में हायर सेकेण्डरी स्कूल है। बतारी से 3 कि.मी. में दीपका हॉयर सेकेण्डरी स्कूल स्थित है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि वॉशरी खोलने की अनुमति नहीं प्रदान करें।

67. **श्रीमती जाम बाई श्याम, अध्यक्ष जनपद पंचायत, पाली, जिला–कोरबा–**

यह कि ग्राम –बतारी प्रस्तावित कोलवॉशरी से लगा हुआ है। ग्राम पंचायत तिवरता, लिटियाखार, सिरकी के किसानों की कृषि भूमि शामिल है। जहां के निवासी मूल रूप से कृषि पर आधारित जीवन यापन करते है। कोलवॉशरी खुलने से कृषि पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। कोरबा जिला पांचवी अनुसुची के अंतर्गत आता है, जो आपत्ति के पर्याप्त कारण को दर्शाता है। प्रस्तावित कोलवॉशरी से लगा हुआ ग्राम पंचायत, तिवरता, सिरकी, चैनपुर, लिटियाखार के हॉयर सेकण्डरी स्कूल भवन, मिडिल स्कूल, ऑगनबाड़ी भवन, कन्या आश्रम, शासकीय तालाब प्रभावित होंगें। पेसा एक्ट कानून के तहत कोलवॉशरी खोला जाना तर्कसंगत नहीं होगा। कोलवॉशरी खुलने से आसपास के गांव में प्रदूषण से जन–जीवन , जल, पशु, जलवायु दूषित होगा। उक्त स्थिति में कोलवॉशरी खोलने का हम विरोध दर्ज कराते है।

68. **श्री अमृका प्रसाद कोर्राम, सरपंच, ग्राम पंचायत–सिरकीखुर्द, जनपद पंचायत–पाली, जिला–कोरबा–**

ग्राम–बतारी में कोलवॉशरी खुलने से ग्राम पंचायत सिरकी के लोग मुख्य रूप से प्रभावित होंगे, क्योंकि यह ग्राम पंचायत परियोजना स्थल से बहुत समीप है। यह पुर्नवास ग्राम भी है, हमारे ग्राम पंचायत के लोग भारी प्रदूषण की मार झेलते रहे है। हमने वायु प्रदूषण के निदान हेतु प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण मंडल को लिखित एवं मौखिक रूप से बार–बार अवगत कराते आ रहे है, परन्तु आज तक हमे प्रदूषण से निदान नहीं मिल पाया है। इस क्षेत्र में पहले से ही कोलवॉशरी एवं पावर प्लांट होने के कारण हमारी

पंचायत पूरी तरह से प्रदूषण से ग्रसित है। चूंकि कोई भी कोलवॉशरी या प्लांट को पर्यावरण स्वीकृति पर लिखे नियम व शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है, ताकि पर्यावरण पर प्रदूषण का दुष्प्रभाव ना पड़े। लेकिन कोई भी वॉशरी या प्लांट इन नियमों का सही ढ़ंग से पालन नहीं कर रहा है। जिसके कारण गांव, खेत, नदी, जंगल बर्बाद हो रहे है। यहॉ के लोगों का जीवन दुर्भर हो गया है। साफ पानी स्वच्छ हवा भी मिलना भी नसीब नहीं हो रहा है। बच्चों एवं वृद्ध जनों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। कोल वॉशरी के कारण लीलागर नदी बर्बाद हो गई है। इसका पानी जानवरों के पीने के लायक भी नहीं है। कोलवॉशरी के प्रदूषण से बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होगा। कोलवॉशरी के समीप कृषकों की कृषि भूमि है जो प्रभावित होगी। परियोजना के चारों ओर बस्ती है। आमापारा, बतारी, चैनपुर व सिरकी जो पहले से प्रदूषण से ग्रसित है। प्रस्तावित कोलवॉशरी के आने से वन विभाग द्वारा मिश्रित वृक्षारोपण किया गया है, जो वायु प्रदूषण से नष्ट हो रहा है। कोलवॉशरी के स्थापित होने से सड़को पर बोझ बढ़ेगा, जिससे दुर्घटना होने की संभावना है। प्रस्तावित कोलवॉशरी के लिए जल की आपूर्ति गजहा नाल(सलिहानाला) में प्रस्तावित ऐनीकट से आपूर्ति बताया गया है। जो पहले से ही ए.सी.बी. उद्योग द्वारा सलिहानाला में ऐनीकट निर्माण कर जल आपूर्ति कर रहा है, जिसके कारण नदीका प्राकृतिक जल बहाव रूक गया है। इससे ग्राम मडवाढ़ोढा , दादरपारा, कुचेना और रोहिला तक नदी का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। जिससे गांव में रहने वाले लोगों के लिए इनके जानवरों के लिए जल संकट पैदा हो गया है। अतः हम इस जनसुनवाई को निरस्त करने की कृपा करें।

69. श्री बालेन्द्र सिंह, प्रेसीडेंट, युथ कांग्रेस ऐसेंबली, कटघोरा, जिला–कोरबा–

ग्राम बतारी में कोलवॉशरी प्रस्तावित है। यह क्षेत्र कोलवॉशरी से पूर्व से प्रदूषित है, यह क्षेत्र और ज्यादा प्रदूषित हो जायेगा। यह पूरा क्षेत्र कोलवॉशरी एवं पॉवर प्लांट के कारण भयंकर प्रदूषण की विभिषिका झेल रहा है। एक और पॉवर प्लांट एवं वॉशरी आने से शांति पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे ग्राम बतारी एवं आसपास के लोगों को प्रदूषण से जीना दूभर हो जायेगा। अतः हम इस कोलवॉशरी का विरोध करते है।

70. **उप सरपंच, ग्राम–झाबर एवं अन्य जिला–कोरबा–**

ग्राम बतारी में कोलवॉशरी की स्थापना की जा रही है, जिससे आसपास के ग्राम के लोगों को कोयले के प्रदूषण से जनहानि पहुचेगा। साथ ही लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या जैसे– सांस, दमा, खांसी, ब्लड प्रेशर, शुगर इत्यादि अनेकों बीमारी से पीडित होंगे एवं भारी वाहनों एवं कोयला वाहनों से संचालन होने से आये दिन दुर्घटना घटित होगा, साथ ही पर्यावरण पूरी तरह से प्रदूषित होगा। इस क्षेत्र में पूर्व से ही अनेकों कोलवॉशरी संचालित होने के कारण क्षेत्र के लोग ऐसी समस्या झेलते आ रहे है। ग्राम–नेहरू नगर बतारी कोलवॉशरी खोलने की हम ग्रामवासी पूरजोर विरोध करते है।

71. **श्री नरेश टंडन, जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, जिला–कोरबा–**

ग्राम बतारी में कोलवॉशरी संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिससे आसपास के ग्राम के लोगों को कोयला के प्रदूषण से जनहानि पहुंचेगा साथ ही साथ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या जैसे– सांस, दमा, खांसी, ब्लड प्रेशर, शुगर इत्यादि अनेकों बीमारी से पीडित होंगे एवं भारी वाहनों एवं कोयला वाहनों से संचालन होने से आये दिन दुर्घटना घटित होगा, साथ ही पर्यावरण पूरी तरह से प्रदूषित होगा। इस क्षेत्र में पूर्व से ही अनेकों कोलवॉशरी संचालित होने के कारण क्षेत्र के लोग ऐसी समस्या झेलते आ रहे है। ग्राम–नेहरू नगर, बतारी कोलवॉशरी खोलने की हम ग्रामवासी पूरजोर विरोध करते है।

72. **श्री विशाल शुक्ला, एम–44, ऊर्जानगर, जिला–कोरबा–**

जिस स्थल पर कोलवॉशरी लग रही है। स्थान चयन को लेकर मेरे मन में भयावह/गंभीर डर पैदा हो रहा है। जैसा कि हम जानते है कोरबा जिला अति प्रदूषण कारी क्षेत्र में आता है तथा कोरबा जिला पूरे भारत में अतिप्रदूषणकारी क्षेत्र में पांचवे स्थान में था। तत्पश्चात पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा किसी भी नये उद्योग लगाने के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। ततपश्चात एक अन्य स्टडी रिपोर्ट जो कि वर्ष 2014–15 में आई थी। इस स्टडी रिपोर्ट के आधार पर भी कोरबा जिला पूरी तरह से अतिप्रदूषणकारी क्षेत्र में बना रहा है। इस जगह में जहॉ पर पहले से ही प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है। वहॉ किसी नये उद्योग को लगाने की अनुमति देना पूरी तरह से यहां निवासरत् आम जन लोगों के जीवन से

खिलवाड करने जैसा होगा। यह कोलवॉशरी किसी अन्य जगह पर यहां से लगभग 20–25 कि.मी. की दूरी पर स्थानानतरित किया जावें। कोल वॉशरी जिस स्थान पर लग रही है, उस स्थान के निकट स्कूल संचालित है। जहां पर 400–500 छोटे–छोटे बच्चें अध्ययन के लिए आते है। उक्त प्रदूषण का असर बच्चों पर सीधे पड़ेगा। अतः कोलवॉशरी किसी अन्यत्र जगह स्थापित की जावे। उद्योग का लगना यू तो सौभाग्य की बात होती है, लेकिन अगर उद्योग किसी ऐसी जगह पर लग रहा हो जहां पहले से ही निवासरत ग्रमवासी या लोग प्रदूषण की समस्याओं से त्राहि–त्राहि कर रह है। इस स्थिति में अगर वहां किसी नये उद्योग को लगाने कि अनुमति देने का सीधा मतलब होता है कि आम जन भावनाओं की अनदेखी की जा रही है तथा मानवीय संवेदनाओं का गला घोटा जा रहा है और महज उद्योग के दबाव एवं पैसो के खातिर उन्हें प्रदूषणकारी हवा या प्रदूषणकारी जहर पिलाकर मारने की साजिश की जा रही है इसलिए मानवीय जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उद्योग को किसी अन्यत्र जगह पर स्थानांतरित करें । कोरबा जिला अत्यन्त प्रदूषणकारी क्षेत्र में आता है। पर्यावरण मंउल छ.ग. एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा प्रदूषण स्तर जानने के लिए 2009 में स्टडी रिपोर्ट कराई गई। इस रिपोर्ट के ऑकड़े के आधार पर कोरबा जिला अत्यन्त प्रदूषणकारी क्षेत्र अर्थात पूरे भारत में पॉचवे स्थान पर था। प्रदूषण रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण का स्तर सी.ई.पी.आई. के आधार पर 83 प्रतिशत था। इस रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार द्वारा किसी नये उद्योग के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए रोक लगा दी थी। इसके बाद एक अन्य रिपोर्ट जो कि आई.टी.आई., खडगपुर के अध्ययन पर आई थी, जिसमें इसका प्रदूषण स्तर सी.ई.पी.आई. 75.5 प्रतिशत था, जो कि अति प्रदूषण्कारी सीमा सी.ई.पी.आई. 60 प्रतिशत से कहीं ज्यादा था। वर्तमान में ज्ञात जानकारी के अनुसार इसी तरह का अध्ययन पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आई.आई.टी., बाम्बे के द्वारा वर्ष 2016–17 में कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। यहां प्रदूषण के कारण आसपास निवासरत लोगों में फेफड़ों एवं दिल से संबंधित गंभीर रोगों में इजाफा हुआ है। इन सब परिस्थितियों के बावजूद हम सबको आश्चर्य होता है कि कैसे पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा किसी नये उद्योग के मंजूरी हेतु कार्यवाही की जा रही है, इस नये उद्योग के लगने के कारण निश्चय ही प्रदूषण में भारी मात्रा में बढ़ोत्तरी होगी। तथा

पहले से ही दंश झेल रहे आम लोगों को मौत के मुंह में भेजने जैसा होगा। इसलिए मैं शासन/पर्यावरण संरक्षण मंडल से आग्रह करता हूँ कि यह उद्योग यहां न लगाकर उद्योग को अन्य जगह पर स्थानांतरित करें। अगर यह उद्योग यहां से 20–25 कि.मी. दूर लगता है, जहां प्रदूषण का दबाव कम है, वहां लगे ताकि प्रदूषण की समस्याओं से होने वाली गंभीर बीमारियों से आम लोगो के जन जीवन में कम से कम प्रभाव हो। प्राप्त दो अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर यह क्षेत्र पूर्णतया अति प्रदूषणकारी क्षेत्र में आता है, इस कारण से यहां निवासरत लोगों को पहले से फेफड़ों एवं दिल से संबंधित अनेक रोग जकड़े हुए है। जिसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग के ऑकड़ो से होती है। इस परिस्थिति में नवीनतम की गई स्टडी रिपोर्ट के ऑकड़ो को सार्वजनिक किये बगैर कैसे नये उद्योग लगाने की अनुमति के लिए कार्यवाही की जा रही है। अगर इस रिपोर्ट से जो कि आने वाली है से भी यह पुष्टि हो जाती है, अगर इस रिपोर्ट से जो कि आने वाली है से भी यह पुष्टि हो जाती है कि कोरबा क्षेत्र पूर्वतया अति प्रदूषणकारी क्षेत्र में बना हुआ है तथा और किसी नये उद्योग को सहन नहीं कर सकता है और अनुमति दी जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। वर्तमान परदृश्य को देखते हुए निश्चय ही यह अति प्रदूषणकारी मानक स्तर सी.ई.पी.आई.(कम्प्रेहन्सीव इन्वायरमेंट पॉल्युशन इंडेक्स) 74 प्रतिशत था। अतः इन परिस्थिति को देखते हुए, जब तक आई.आई.टी. बाम्बे के द्वारा स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती है, तब तक यह जन सुनवाई स्थगित किया जाये। यह कि रिपोर्ट का परिणाम आने के बाद ही जन सुनवाई का कार्य सुनिश्चित करें।

लोक सुनवाई दौरान तथा लोकसुनवाई के पूर्व प्राप्त मुख्य रुप से लिखित/मौखिक चिंताओं/सुझाव/ विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ में उठाये गये मुख्य मुद्दों का समावेश निम्नाकिंत प्रश्नों में किया गया है, जिसके परिपेक्ष्य में श्री अरविन्द कुमार शर्मा, महाप्रबंधक कार्पोरेट अफेयर्स, मेसर्स सी.जी.कोल एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम–बतारी, तहसील–कटघोरा जिला–कोरबा द्वारा दी गई जानकारी निम्नानुसार समावेशित प्रश्नों के साथ निम्नानुसार है :–

1. कोलवॉशरी को पर्यावरर्णीय मानकों का पालन करना होगा।

उ0 पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा निर्धारित नियमों शर्तो एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए प्रस्तावित कोल वॉशरी का स्थापना एवं तदपश्चात् संचालन किया जावेगा।

2. कोल वाशरी प्रबंधन को सामाजिक उत्तर दायित्व में सहयोग करना होगा।

उ0 प्रस्तावित कोल वॉशरी परियोजना में ग्राम पंचायतों से प्राप्त सुझावों के अनुरूप सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत् आवश्यक कार्य किये जायेगें।

3. कोल वाशरी में स्थानीय युवाओं को रोजगार देना होगा।

उ0 प्रस्तावित कोल वॉशरी परियोजना में 90 प्रतिशत स्थानिय लोगों को रोजगार दिया जावेगा एवं आवश्यकता पढ़ने पर उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण दिलवानें में होने वाले खर्चो का 75 प्रतिशत हिस्सा संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

4. ग्राम बतारी का विकास उद्योग प्रबंधन को करना होगा।

उ0 उद्योग प्रबंधन द्वारा ग्राम बतारी के विकास में आवश्यक सहयोग सी.एस.आर मद से दिया जायेगा

5. उद्योग प्रबंधन / कोल वाशरी प्रबंधन पौधा रापेण करके, पर्यावरण को ध्यान में रखें।

उ0 उद्योग प्रबंधन द्वारा ग्राम बतारी के विकास में आवश्यक सहयोग सी.एस. आर. मद से दिया जायेगा।

6. उद्योग के आसपास के महिला स्व सहायता समूहों को उद्योग प्रबंधन सहयोग प्रदान करें।

उ0 उद्योग प्रबंधन द्वारा आसपास के महिला स्व सहायता समुहों को सी.एस.आर. मद से आवश्यक सहयोग दिया जावेगा

7. उद्योग प्रबंधन द्वारा भूमिगत जल का उपयोग कोयला की धुलाई में किया सजावेगा, जिससे आसपास के क्षेत्र का भू–जल स्तर कम होगा। जिससे ग्रामीणों को पानी समस्या होने की पूर्ण संभावना है।

उ0 प्रस्तावित कोल वॉशरी परियोजना के लिए शासन ने गंजहा (सलिहा) नाला में प्रस्तावित फुलझर एनीकेट से जल आपूर्ति करने की सहमति प्रदान कर दी है, संस्थान द्वारा भूमिगत जल का उपयोग नहीं किया जावेगा, सस्थान द्वारा भू–जल स्तर बढ़ाने के लिए रैन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना उद्योग परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में की जावेगी।

8. ग्राम बतारी में पानी, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, एवं रोड की व्यवस्था उद्योग प्रबंधन को करना होगा।

उ0 उद्योग संस्थान द्वारा पानी, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, एवं रोड की व्यवस्था सी. एस.आर. के अंतर्गत ग्राम पंचायत से विचार विमर्श करके की जायेगा।

9. कोल वाशरी के स्थापित एवं संचालित होने से ग्राम बतारी एवं आसपास के क्षेत्र में कोल डस्ट युक्त वायु प्रदूषण होगा, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना होगा।

उ0 वायु प्रदुषण की रोकथाम के लिए उद्योग प्रबंधन द्वारा निम्न प्रयास किये जावेंगे: (1) 33 प्रतिशत भूमि पर सघन एवं गहन वृक्षारोपण किया जावेगा। (2) कोयले का परिवहन तारपोलिन से ढ़के हुए ट्रको द्वारा किया जावेगा। (3) सड़क मार्ग पर पानी का छिड़काव किया जावेगा। (4) लोडिग एवं अनलोडिंग स्थान पर सेंसर बेस्ड वॉटर स्प्रींकलर सिस्टम की स्थापना की जावेगी। (5) उच्च तकनीक वाली मशीनरी की स्थापना की जावेगी।

10. उद्योग प्रबंधन द्वारा टी.ओ.आर. में निहित शर्तों का पालन नहीं किया गया है।

उ0 उद्योग प्रबंधन द्वारा टी.ओ.आर. के सभी शर्तो का पालन किया गया है, ई.आई.ए. रिपोर्ट में सभी शर्तों का अनुपालन दिया है।

11. ई.आई.ए. में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि वायु प्रदूषण से आसपास के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा।

उ0 ई.आए.ए. रिपोर्ट के अध्याय 4 में वायु प्रदूषण के प्रभाव और उन प्रभाव को कम करने के उपाय विस्तार से दिये गये है।

12. ई.ए.ए. रिपोर्ट में वायु प्रदूषण के जो आकड़े बताये गये है, वह बहुत कम है।

उ0 प्रस्तावित कोल वॉशरी के 15 कि.मी. परिधि अध्ययन क्षेत्र में आधारभूत पर्यावरणीय स्थिति का अध्ययन अक्टूबर से दिसबंर 2015 में Anacon Laboratories Pvt. Ltd., Nagpur द्वारा किया गया है। यह लैब पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त NABL द्वारा प्रमाणित और NABET द्वारा केटेगिरी–ए मान्यता प्राप्त पर्यावरणी सलाहकार है। वायु प्रदूषण गुणवत्ता अध्ययन NAAQ, CPCB के निर्देशानुसार किया गया है और मिले परिणामों को ई.आई.ए. रिपोर्ट में समाविष्ट किया गया है।

13. ग्राम बतारी के पास में ए.सी.बी. इंडिया लि. की कोल वाशरी संचालित है, जिससे आसपास के क्षेत्र प्रदूषित है, नई कोल वॉशरी के खुलने से और प्रदूषण होगा।

उ0. प्रस्तावित कोल वॉशरीं से होने वाले वायु प्रदूषण के लिये वायु मोडेलिंग का अध्ययन किया गया है। अध्ययन के नतीजों के अनुसार धूलिय कण, SO2 और NOx मानको के अंदर ही रहेंगे। प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिये पर्यावरणी प्रबंधन योजना का पालन किया जायेगा।

14. ग्राम बतारी के पास वृहद कोयला खदान, गेवरा, दीपका, कुसमुण्डा संचालित है, जिससे आसपास का क्षेत्र पूर्व से प्रदूषित है।

उ0 प्रस्तावित कोल वॉशरी से होने वाले वायु प्रदूषण के लिये वायु मोडेलिंग का अध्ययन किया गया है। अध्ययन के नतीजों के अनुसार धूलीय कण SO2 और NOx मानकों के अंदर ही रहेंगे। प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन किया जावेगा।

15. ग्राम बतारी में प्रस्तावित सी.जी. कोल वाशरी से लगी हुई इण्डस पब्लिक स्कूल संचालित है। अगर कोलवाशरी की स्थापना की जाती है तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

उ0 संस्थान द्वारा स्कूल की तरफ की बाउंड्रीवाल की अधिकतम ऊंचाई तक ऊंचा किया जावेगा, बाउंड्रीवाल की तरफ जल्दी बढ़ने वाले सघन, गहन एवं उंचे वृक्ष लगाये जायेंगे, बाउंड्रीवाल की तरफ जेट स्प्रींकलर सिस्टम लगाया जायेगा एवं लोडिंग एवं अनलोडिंग स्थान पर सेंसर बेस्ड वॉटर स्प्रींकलर की स्थापना की जावेगी और इस कोल वॉशरी में कोयला गीली तकनीक में धोया जावेगा, जिसकी वजह से धूल उत्सर्जन बहुत ही कम होगा।

16. प्रस्तावित कोलवाशरी स्थल से महाविद्यालय एवं स्कूल की दूरी बहुत कम है, जिससे महाविद्यालय स्कूल प्रदूषण से प्रभावित होंगे।

उ0 संस्थान द्वारा कोयले का परिवहन तारपोलिन से ढ़के हुए ट्रकों द्वारा किया जावेगा, एवं सड़क पर पानी का अधिकाधिक छिड़काव किया जावेगा, ट्रकों की निर्धारित क्षमता (केयरिंग केपेसीटी) के अनुरूप ही कोयले का परिवहन किया जावेगा एवं ट्रकों की गति सीमा को नियंत्रित किया जावेगा।

17. कोलवाशरी हेतु रॉ कोल एवं धुला कोल का परिवहन ट्रकों से किये जाने से आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण होगा।

उ0 संस्थान द्वारा कोयले का परिवहन तारपोलिन से ढ़के हुए ट्रको द्वारा किया जावेगा, एवं सड़क पर पानी का छिड़काव किया जावेगा, ट्रकों की निर्धारित क्षमता (केयरिंग केपेसीटी) के अनुरूप ही कोयले का परिवहन किया जावेगा एवं ट्रकों की गतिसीमा को नियंत्रित किया जावेगा।

18. कोरबा जिला 5वीं अनुसूची के अन्तर्गत आता है। बिना ग्राम सभा के कोई उद्योग की स्थापना नहीं हो सकती है। यह क्षेत्र पूर्व से ही प्रदूषित है, अतः यहां ऐसे उद्योग की स्थापना की जावे, जिससे प्रदूषण न हो।

उ0 कोल वॉशरी परियाजना के लिए 5 वीं अनुसूची के तहत ग्रामसभा की सहमति प्राप्त की गयी थी। निर्देशानुसार कोल वॉशरी परियोजना पिटहेड या पिटहेड के नजदीक की जाना चाहिए। प्रस्तावित परियोजना दीपिका कोल माइन्स से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एव वर्तमान में अधिकांश कोयले का परिवहन बिलासपुर पाली रोड़ की सड़क से होता है एवे पाली रोड़ से हमारी प्रस्तावित परियोजना की दूरी मात्र 400 मीटर है। प्रस्तावित वाशरी में कोयले का परिवहन तारपोलिन से ढ़के हुए ट्रको के माध्यम से किया जावेगा एवं सड़क पर अधिकाधिक जल का छिड़काव किया जावेगा।

19. कोल वाशरी हेतु कोयला का परिवहन रेल्वे द्वारा किया जावे।

उ0. कोयला मत्रालय द्वारा इस क्षेत्र में उत्पादनरत कोल माइन्स का उत्पादन लगातार बढ़ाया जा रहा है एवं वर्तमान में रेल्वे लाइन एवं वैगनों की उपलब्धता उत्पादन के अनुरूप नहीं है इसलिए अधिकांश कोयले का परिवहन सड़क मार्ग से किया जाता हैं। उत्पादनरत दीपिका कोल माइन्स से उद्योग की दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर है एवं वर्तमान में उक्त कोयले का परिवहन

बिलासपुर पाली सड़क मार्ग से किया जाता हैं, पाली रोड़ से प्रस्तावित वॉशरी की दूरी मात्र 400 मीटर है। विभिन्न शासकीय विभागों से अनुमति एवं सहमति मिलने पर माईन्स से उद्योग तक कोयला परिवहन के लिए कन्वेयर बेल्ट लगाया जा सकता है।

20. उद्योग से ग्राम की दूरी कितनी होनी चाहिए।

उ0 प्रस्तावित कोल वॉशरी परियोजना के लिए शासन ने 20.25 एकड़ जमीन भू–अधिग्रहण कर संस्थान को दी है एवं यह भूमि कोल माइन्स एवं पाली रोड़ के नजदीक स्थित है। पाली रोड़ एवं परियोजना स्थल के मध्य कोई आबादी स्थित नहीं हैं।

21. ग्राम बतारी एवं आसपास के लोगों का खेती किसानी करना मुख्य व्यवसाय है। वॉशरी खुलेगी तो कृषि भूमि प्रभावित होगी। उद्योग के आसपास पुर्नवास ग्राम स्कूल संचालित है। परिवहन के आसपास के क्षेत्र में धूल डस्ट होगा।

उ0 संस्थान द्वारा स्कूल की तरफ की बाउंड्रीवाल की अधिकतम ऊंचाई तक ऊंचा किया जावेगा, बाउंड्रीवाल की तरफ जल्दी बढ़ने वाले सघन, गहन एवं उंचे वृक्ष लगाये जायेंगे, बाउंड्रीवाल की तरफ जेट स्प्रींकलर सिस्टम लगाया जायेगा एवं लोडिंग एवं अनलोडिंग स्थान पर संसर बेस्ड वॉटर स्प्रींकलर की स्थापना की जावेगी और इस कोलवॉशरी में कोयला गीला तकनीक से धोया जायेगा, जिसकी वजह से धूलीय उत्सर्जन बहुत ही कम होगा।

22. ग्राम बतारी के लोगों को 90% रोजगार कोल वाशरी में दिया जावे।

उ0. छत्तीसगढ़ शासन की औद्योगिक नीति के तहत् कोल वॉशरी परियोजना में 90 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार पर रखा जावेगा एवं आवश्यकता

पड़ने पर ग्रामिणों को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए 75 प्रतिशत फीस एवं खर्चे संस्थान द्वारा वहन किये जायेंगे।

23. कोल वाशरी से लगभग 150 मीटर की दूरी पर कन्या आश्रम है। बच्चों की तबियत धूल डस्ट से खराब होगी।

उ0 संस्थान द्वारा स्कूल की तरफ की बाउंड्रीवाल की अधिकतम ऊंचाई तक ऊंचा किया जावेगा, बाउंड्रीवाल की तरफ जल्दी बढ़ने वाले सघन, गहन एवं उंचे वृक्ष लगाये जायेंगे, बाउंड्रीवाल की तरफ जेट स्प्रींगल सिस्टम लगाया जायेगा एवं लोडिंग एवं अनलोडिंग स्थान पर संसर बेस्ड वॉटर स्प्रींकलर की स्थापना की जावेगी और इस कोलवॉशरी में कोयला गीला तकनीक से धोया जायेगा, जिसकी वजह से धूल उत्सर्जन बहुत ही कम होगा।

24. कोल वाशरी के खुलने से धूल डस्ट उत्पन्न होगा, जिससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

उ0 संस्थान द्वारा स्कूल की तरफ की बाउंड्रीवाल की अधिकतम ऊंचाई तक ऊंचा किया जावेगा, बाउंड्रीवाल की तरफ जल्दी बढ़ने वाले सघन, गहन एवं उंचे वृक्ष लगाये जायेंगे, बाउंड्रीवाल की तरफ जेट स्प्रींकलर सिस्टम लगाया जायेगा एवं लोडिंग एवं अनलोडिंग स्थान पर संसर बेस्ड वॉटर स्प्रींकलर की स्थापना की जावेगी और इस कोलवॉशरी में कोयला गीला तकनीक से धोया जायेगा, जिसकी वजह से धूलीय उत्सर्जन बहुत ही कम होगा।

25. कोलवाशरी की स्थापना होने से इण्डस पब्लिक स्कूल के बच्चों से जल वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से बीमारी होने का खतरा है। निरंतर भारी वाहनों के परिचालन से बच्चों अभिभावकों को सदा दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहेगी।

उ0 बच्चों को जल, वायु, ध्वनि प्रदुषण एवं दुर्घटना से बचाने के लिए समुचित प्रयास किये जायेंग। संस्थान द्वारा स्कूल की तरफ की बाउंड्रीवाल की अधिकतम ऊंचाई तक ऊंचा किया जावेगा, बाउंड्रीवाल की तरफ जल्दी बढ़ने वाले सघन, गहन एवं उंचे वृक्ष लगाये जायेंगे । इस कोलवॉशरी में कोयला गीली तकनीक से धोया जावेगा, जिसकी वहज से धूलिय उत्सर्जन बहुत ही कम होगा।

सड़क दुर्घटनायें कम करने के लिये निम्न उपाय योजनाये कार्यान्वित की जायेगी :–

- स्कूल आदि के पास यातायात सेनटरीज चिपकाये जावेगे ।
- महत्वपूर्ण स्थानों पर स्प्रीड ब्रेकर, ट्राफिक सिगनल लगाये जावेगे।
- स्कूल प्रारंभ होने तथा बंद होने के समय यातायात बंद रखा जावेगा।
- जहां आवश्यक हो सडक का चौडा किया जावेगा।
- यातायात सुरक्षा के संबंध में जागरूकता अभियान चलावा जावेगा।

26. कोल वाशरी की स्थापना हेतु जमीन का अर्जन शासन के नियमानुसार नहीं किया गया है।

उ0 शासन द्वारा निर्धारित नियम एवं मान्य प्रक्रियाओं का पालन करते हुए 20.25 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कोल वॉशरी परियोजना के लिए किया गया हैं एवं शासन द्वारा उक्त भूमि 99 वर्षो की अवधि के लिए प्रस्तावित कोल वॉशरी को लीज पर दी गयी हैं।

27. पहले से ही प्रदूषण से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्र में नये परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

उ0. उद्योग प्रबंधन द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति पाने के लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को आवेदन प्रस्तुत किया गया था और मंत्रालय द्वारा कोलवॉशरी के प्रस्तावित स्थान को ध्यान में रखते हुए टी. ओ.आर. जारी किया गया था । जन सुनवाई के मुददे को सम्मिलित करके अंतिम ई.आई.ए. रिपोर्ट पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जावेगा।

28. वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को डाटा और अंकों के माध्यम से ई.आई.ए. रिपोर्ट में छुपाया गया है।

उ0. प्रस्तावित कोल वॉशरी के 15 कि.मी. परिधि अध्ययन क्षेत्र में आधारभूत पर्यावरणीय स्थिति का अध्ययन अक्टूबर से दिसबंर 2015 में Anacon Laboratories Pvt. Ltd., Nagpur द्वारा किया गया है। यह लैब पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त NABL द्वारा प्रमाणित और NABET द्वारा केटेगिरी–ए मान्यता प्राप्त पर्यावरणी सलाहकार है। वायु गुणवत्ता अध्ययन NAAQ, CPCB के निर्देशानुसार किया गया है और मिले परिणामों को ई.आई.ए. रिपोर्ट में समाविष्ट किया गया है। प्रस्तावित कोलवॉशरी से होने वाले वायु प्रदूषण के लिए वायु मोडेलिंग का अध्ययन किया गया है। अध्ययन के नतीजों के अनुसार धूलीय कण SO2 और NOx मानकों के अंदर ही रहेंगे। प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन किया जावेगा।

29. जल स्त्रोत पर अतिरिक्त जल आपूर्ति का दबाव एवं प्राकृतिक बहाव पर दुष्प्रभाव पड़ेगा।

उ0. छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित कोल वॉशरी परियोजना के लिए स्थल की वास्तविक स्थिति पर विचारोंपरांत ही गांझा नाला के फुलझर एनीकट से जल आपूर्ति करने की सहमति प्रदान की गई। परियोजना का संचालन शून्य निस्राव पद्धति से किया जावेगा। कोलवाशरी संयंत्र से कोई दूषित जल निस्राव नहीं किया जावेगा। प्रक्रिया में उद्भूत सभी दूषित जल को थिकनर में उपचारित कर कोलवाशिंग प्रक्रिया में पुर्नउपयोग किया जावेगा। परियोजना परिसर से जनित घरेलू दूषित जल को सेप्टिक टैंक में तदुपरांत सोकपिट में प्रवाहित किया जावेगा। जल संरक्षण के दृष्टिकोण से संयंत्र में वर्षा जल संधारण किया जावेगा। संयंत्र में उपलब्ध भूस्तरीय जल को ड्रेन के माध्यम से एकत्रित कर सेटलिंग टैंक में संग्रहित किया जावेगा, तदुपरांत प्रक्रिया में प्रयोग किया जाएगा, ताकि भूस्तरीय जल का आहरण घट सके। भवनों के छत से वर्षा जल को संग्रहित कर वर्षा जल संधारण कुंड में एकत्रित कर भूमि में प्रविष्ट कराया जावेगा। इस हेतु वैज्ञानिक पद्धति से वर्षा जल संधारण पद्धति की संरचना की जावेगी।

30. रॉ कोल वाश्ड कोल तथा रिजेक्ट कोल के परिवहन के संबंध में ई.आई.ए. रिपोर्ट में भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की गई है।

उ0. ई.आई.ए. रिपोर्ट में कोल परिवहन के बारे में कोई भी गलत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। उत्पादनरत दीपका कोल माइन्स से उद्योग की दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर है एवं वर्तमान में उक्त कोयले का परिवहन बिलासपुर पाली सड़क मार्ग से किया जाता हैं, पाली रोड़ से प्रस्तावित वॉशरी की दूरी मात्र 400 मीटर है। प्रस्तावित संयंत्र स्थल के आसपास कोई मौजूदा रेलवे साइडिंग नहीं है, इस कारण कच्चे कोयले को सडक मार्ग से परिवहन किया जावेगा। वॉश कोल के परिवहन की व्यवस्था ग्राहक के साथ हुए एमओयू के अनुसार

सडक या रेल मार्ग की उपलब्धता पर होगा। नजदीक रेलवे साईडिंग कोरबा में उपलब्ध है। इसका उद्योग से दूरी के आधार पर धुले कोयले को परिवहन किया जावेगा। यदि उपयोगकर्ता उद्योग के पास रेल की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो धुले हुए कोयले का परिवहन रोड के द्वारा ट्रक के माध्यम से किया जावेगा।

31. कोल वाशरी के स्थापित एवं संचालित होने से वन्य जीव पर दुष्प्रभाव की जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में नहीं है।

उ0 परियोजना स्थल के 15 कि.मी. के दायरे में कोई राष्ट्रीय उद्यान,वन्यजीव अभ्यारण्य और जीव मंडल रिजर्व, वन्य जीव कारिडोर, टाईगर/हाथी आरक्षित आदि नहीं है। प्रस्तावित कोलवॉशरी क्षेत्र के बफर जोन में चार संरक्षित और बाकी खुले मिश्रित जंगल मौजूद है। जैविक पर्यावरण से संबंधित ईआईए रिपोर्ट में संभव प्रभाव और उपशमन उपायों को पहले ही शामिल किया गया है। मौजूदा आवास संबंधी जैविक संरक्षण योजना में सुधार के लिए बजट के आबंटन के साथ अनुबंध XII में ईआईए ईएमपी रिपोर्ट में दिया गया है।

32. रिजेक्ट कोयले को किस सी.एफ.बी.सी. पावर प्लांट को उपलब्ध कराया जायेगा, यह जानकारी ई.आई.ए. में नहीं दी गई है।

उ0 कंपनी को जॉब वर्क आधार पर एसईसीएल के ग्राहको से मिलेगा। एमओयु के आधार पर सीएफबीसी पॉवर प्लांट को रिजेक्ट कोयला बेचा जायेगा। इसलिए इस स्तर पर ईआईए रिपोर्ट में विद्युत संयंत्रों के सटीक नाम नहीं दिए गए है।

33. कोल वाशरी को ऑरेन्ज केटेगरी में शामिल कर दिये जाने से इस तरह के परियोजनाओं के पर्यावरर्णीय प्रभावों को अनदेखी नहीं किया जा सकता।

उ0 सीपीसीबी द्वारा दिए गए संशोधित वर्गीकरण के बावजूद सभी संभावित पर्यावरणीय प्रभावों को पहले ही पहचाना गया है और उपशमन उपायों को प्रावधान किया गया है।

34. सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित रखने तथा रोकथाम से संबंधित उपायों को ई. आइ.ए. में कम दर्शाया गया है।

उ0 सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े उपायो को पहले ही ईआईए के अनुकमणिका 4,3,2 एवं 6 यातायात में वृद्धि के कारण पड़ने वाले प्रभाव को नियंत्रण करने के उपाय में दिया गया है।

35. पांचवी अनुसूची 244 (1) के तहत आदिवासी क्षेत्र में ग्राम सभा की अनुमति के बगैर किसी भी प्रकार को निर्माण व उद्योग लगाया जाना अंसवैधानिक है। अतः ग्राम बतारी में प्रस्तावित कोल वाशरी एवं पावर प्लांट खोला जाना असंवैधानिक है। इसे खुलने नहीं दिया जाये, क्योंकि ग्राम सभा की अनुमति नहीं है। फर्जी अनुमति लिया गया है।

उ0 कोल वॉशरी परियाजना के लिए 5 वीं अनुसूची के तहत ग्रामसभा की सहमति प्राप्त की गयी थी। निर्देशानुसार कोल वॉशरी परियोजना पिटहेड या पिटहेड के नजदीक की जाना चाहिए। प्रस्तावित परियोजना दीपिका कोल माइन्स से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एव वर्तमान में अधिकांश कोयले का परिवहन बिलासपुर पाली रोड़ की सड़क से होता है एवे पाली रोड़ से हमारी प्रस्तावित परियोजना की दूरी मात्र 400 मीटर है। प्रस्तावित वाशरी में कोयले का परिवहन तारपोलिन से ढ़के हुए ट्रको के माध्यम से किया जावेगा एवं सड़क पर सावधिक जल का छिड़काव किया जावेगा।

36. ग्राम बतारी के 7 कि.मी. के अन्दर 3 बड़ी कोयला खदान एवं कई कोल वाशरी एवं विद्युत संयंत्र संचालित है। अतः ग्राम बतारी कोल वाशरी लगाने हेतु उपयुक्त जगह नहीं है।

उ0 ग्राम–बतारी (स्थल1) को अनुकुल पाये जाने के कारण :–

- सी.जी.कोल एण्ड पॉवर लिमिटेड को सीएसआईडीसी ने औद्योगिक उपयोग हेतु 99 वर्षों हेतु लीज पर भूमि प्रदाय की है।
- कच्चे माल के स्त्रोत यथा एसईसीएल खदानों से नजदीकी।
- संवेदनशील क्षेत्र जैसे वन, जल स्त्रोतों एवं रहवास क्षेत्र से दूरी।
- कच्चे माल तथा अंतिम उत्पाद के परिवहन हेतु सड़क मार्ग से नजदीक।
- नजदीकी कोयला खदानों से कोयला परिवहन में बहुत कम सड़कमार्ग की आवश्यकता।

स्कोपिंग चरण के दौरान वैकल्पिक स्थलों का विश्लेषण पहले से ही MoEF, CC द्वारा अध्ययनित किया गया था और तदानुसार 18.08.2015 को टीओआर जारी किया गया था।

37. कोल वाशरी की स्थापना, अगर ग्राम बतारी में की जाती है, तो ग्राम बतारी में उद्योग प्रबंधन को, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी की व्यवस्था करना होगा।

उ0. प्रस्तावित कोल वॉशरी परियोजना में ग्राम पंचायतों से प्राप्त सुझावों के अनुरूप सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत् आवश्यक कार्य किये जायेगें।

38. ग्राम बतारी आसपास के क्षेत्र में सतवपरिवंशीय वायु का स्तर सामान्य से अधिक है। फिर भी यहां उद्योग लगाने के लिये जन सुनवाई करवाई जा रही है।

उ0 प्रस्तावित कोल वॉशरी के 15 कि.मी. परिधि अध्ययन क्षेत्र में आधारभूत पर्यावरणीय स्थिति का अध्ययन अक्टूबर से दिसबंर 2015 में Anacon Laboratories Pvt. Ltd., Nagpur द्वारा किया गया है। यह लैब पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त NABL द्वारा प्रमाणित और NABET द्वारा केटेगिरी–ए मान्यता प्राप्त पर्यावरणी सलाहकार है। वायु गुणवत्ता अध्ययन NAAQ, CPCB के निर्देशानुसार किया गया है और मिले परिणामों को ई.आई.ए. रिपोर्ट में समाविष्ट किया गया है। प्रस्तावित कोलवॉशरी से होने वाले वायु प्रदूषण के लिए वायु मोडेलिंग का अध्ययन किया गया है। अध्ययन के नतीजों के अनुसार धूलीय कण SO2 और NOx मानकों के अंदर ही रहेंगे। प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन किया जावेगा।

39. कोरबा क्रिटिकल पोलूसन जोन के अन्तर्गत आता है, अतः यहां वाशरी नहीं खुलना चाहिए।

उ0 स्कोपिंग चरण के दौरान वैकल्पिक स्थलों का विश्लेषण पहले से ही MoEF, CC द्वारा अध्ययनित किया गया था और तदानुसार 18.08.2015 को टीओआर जारी किया गया है। कंपनी निर्धारित सीमा के भीतर प्रदूषण स्तर को रखने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की सभी शर्तों का पालन करेगी। प्रदूषण को कम करने और नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना(ईएमपी) लागू की जाएगी।

40. सतही जल एवं प्राकृतिक जल पर उद्योग लगने से होने वाले प्रभावों का ई. आई.ए. रिपोर्ट में कोई वर्णन नहीं किया गया है।

उ0 प्रस्तावित परियोजना की वजह से सतह और प्राकृतिक जल पर होने वाले प्रभावों को पहले से अध्याय 4 में विस्तार से दिया गया है।

41. ई.आई.ए. में उल्लेख है कि कच्चे कोल का परिवहन रोड के माध्यम से होगा। किन्तु ई.आई.ए. में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख नहीं किया गया है कि रिजेक्ट कोल एवं धुलं हुए कोल का परिवहन किससे होगा।

उ0 उत्पादनरत दीपिका कोल माइन्स से उद्योग की दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर है एवं वर्तमान में उक्त कोयले का परिवहन बिलासपुर पाली सड़क मार्ग से किया जाता हैं, पाली रोड़ से प्रस्तावित वॉशरी की दूरी मात्र 400 मीटर है। प्रस्तावित संयंत्र स्थल के आसपास कोई मौजूदा रेलवे साइडिंग नहीं है, इस कारण कच्चे कोयले को सडक मार्ग से परिवहन किया जावेगा। वॉश कोल के परिवहन की व्यवस्था ग्राहक के साथ हुए एमओयू के अनुसार सडक या रेल मार्ग की उपलब्धता पर होगा। नजदीक रेलवे साईडिंग कोरबा में उपलब्ध है। इसका उद्योग के दूरी के आधार पर धुले कोयले की परिवहन किया जावेगा। यदि उपयोगकर्ता उद्योग के पास रेल की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो धुले हुए कोयले का परिवहन रोड के द्वारा ट्रक के माध्यम से किया जावेगा।

42. ई.आई.ए. रिपोर्ट में बायोलाजिकल कंजरवेशन प्लान का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

उ0 दिशानिर्देश के अनुसार जैविक संरक्षण योजना तैयार है और ईआइए रिपोर्ट में अनुलग्नक XII के रूप में शामिल है।

43. कोलवाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट को किस विद्युत संयंत्र को प्रदाय किया जावेगा का स्पष्ट उल्लेख ई.आई.ए. रिपोर्ट नहीं किया गया है।

उ0 कंपनी को जॉब वर्क आधार पर एसईसीएल के ग्राहकों से मिलेगा। एमओयु के आधार पर सीएफबीसी पॉवर को रिजेक्ट कोयला बेचा जायेगा। इसलिए इस स्तर पर ईआईए रिपोर्ट में विद्युत संयंत्रों के सटीक नाम नहीं दिए गए है।

44. उद्योग को जिस नदीं नाले से पानी की आपूर्ति होगी, जिसके कारण जल बहाव के मार्ग पर प्रभाव पड़ेगा, इसका उल्लेख ई.आई.ए. में नहीं किया गया है।

उ0 प्रस्तावित कोलवॉशरी को शून्य डिस्चार्ज मानदण्डों पर संचालित किया जाएगा। प्रस्तावित परियोजना की वजह से सतह और प्राकृतिक जल पर होने वाले प्रभावों को पहले से ही अध्याय 4 के तहत दिया गया है।

45. फुलझर एनीकट से जल आपूर्ति होगा, जिसके कारण पड़ने वाले पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों का उल्लेख ई.आई.ए. रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

उ0 फूलझर एनीकट से प्रस्तावित कोयला वॉशरी तक पानी की आपूर्ति के दौरान सभी वैधानिक मानदण्डों का पालन किया जाएगा।

46. ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख है कि कोल का परिवहन भारी वाहनों के माध्यम से किया जायेगा, जिसके कारण डस्ट उत्सर्जन अत्याधिक मात्रा में होगा।

उ0 शुष्क मौसम की स्थिति के दौरान उत्पन्न धूल को निम्न उपायों द्वारा नियंत्रित किया जायेगा :–

क) 33 प्रतिशत ग्रीनबेल्ट विकास।

ख) नियमित जल छिड़काव।

ग) ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए संयंत्र की सीमा के साथ मोटा वृक्षारोपण विकसित किया जावेगा। यह एक धूल डस्ट नियंत्रण के रूप में कार्य करेगा।

घ) तिरपाल कव्हर्ड ट्रकों के माध्यम से परिवहन।

इ) उच्चतम तकनीक मशीन का उपयोग।

47. सिंचाई प्रभाव का कोई उल्लेख ई.आई.ए. रिपोर्ट में नहीं किया गया है।

उ0 सिंचाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योकि शून्य डिस्चार्ज मानदण्डों पर संचालित किया जावेगा।

48. मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख ई.आई.ए. रिपोर्ट में नहीं किया गया है।

उ0 अध्ययन क्षेत्र में मानव स्वास्थ्य की स्थिति पहले ही अध्याय–3 में दी गई है। और अध्याय 4.3.10.2 में उपलब्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य सामाजिक आर्थिक सुधार उपायों से संबंधित प्रभावों के प्रबंधन के सुझाव दिये गए है।

49. टी.ओ.आर. की शर्तों का पालन उद्योग प्रबंधन नहीं किया गया है।

उ0 उद्योग प्रबंधन द्वारा टी.ओ.आर. के सभी शर्तों का पालन किया गया है। ईआईए रिपोर्ट में सभी शर्तों का अनुपालन दिया गया है।

50. एम.ओ.ई.एफ. द्वारा जारी किये टी.ओ.आर. अनुसार कायेले का परिवहन कनवेयर बेल्ट द्वारा करने को कहा गया है परंतु ई.आई.ए. रिपोर्ट में कोयले का परिवहन ट्रकों द्वारा होना उल्लेखित है।

उ0 संयंत्र परिसर के भीतर आंतरिक रूप से कोयले का कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से परिवहन किया जावेगा, जबकि निकटतम खदान से कोयले का परिवहन ट्रकों द्वारा सड़क के माध्यम से किया जावेगा।

51. पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट में प्रस्थावित कोल वॉशरी एवं आसपास के कमोल वॉशरी का संचयी प्रभाव के बारे में जानकारी नहीं दी गई है।

उ0 अध्याय–4 में संचयी प्रभाव पहले से ही पहचाने गये है और विभिन्न पर्यावरणीय घटकों, वायु, जल सहित के लिए संबोधित किये गये थे।

52. वायु प्रदूषण तथा उसके संरक्षण के उपाय के लिए उचित कार्य योजना दिया नहीं गया है।

उ0 अध्याय–4 में प्रदूषण समन उपायों को दिया गया है और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना को अध्याय–10 में दिया है। और कार्यायोजना को अनुबंध–13 में दिया गया है।

53. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के बारे में भ्रामक जानकारी दी गई है। संवेदनशील क्षेत्र 10 किलो मीटर परिधी के भीतर है। ई.आई.ए. रिपोर्ट में कोल वॉशरी के चारों ओर लगभग 50 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका का कोई प्लान नहीं दिया गया है।

उ0 परियोजना स्थल के 10 कि.मी.के दायरे में कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य , जीव मंडल रिजर्व, वन्यजीव कारिडोर, टाइगर/हाथी आरक्षित आदि नहीं है। प्रस्तावित कोलवॉशरी क्षेत्र के बफर जोन में 4 संरक्षित बांकी खुले मिश्रित जंगल मौजूद है।

54. ईआए रिपोर्ट में वर्षा जल के नेटवर्क के ब्यौरे ले–आउट और प्रबंधन योजना के ऊपर कोई सूचना नहीं है।

उ0 परियोजना का संचालन शून्य निस्राव पद्धति से किया जावेगा। जल संरक्षण के दृष्टिकोण से संयंत्र में वर्षा जल संधारण किया जावेगा। संयंत्र में उपलब्ध भूस्तरीय जल को ड्रेन के माध्यम से एकत्रित कर सेटलिंग टैंक में संग्रहित किया जावेगा, तदुपरांत प्रक्रिया में प्रयोग किया जाएगा, ताकि भूस्तरीय जल का आहरण घट सके। भवनों के छत से वर्षा जल को संग्रहित कर वर्षा जल संधारण कुंड में एकत्रित कर भूमि में प्रविष्ट कराया जावेगा। इस हेतु वैज्ञानिक पद्धति से वर्षा जल संधारण पद्धति की संरचना की जावेगी।

55. प्रक्रिया में खान निर्मित पानी का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा और पानी की आपूर्ति सतही जल से की जायेगी। इससे संभवतः एरिया में पानी की किल्लत होगी।

उ0 कोल वॉशरी परियोजना मे शून्य निस्सारण की प्रक्रिया अपनाई जावेगी तथा कोल वॉशरी परिसर के बाहर किसी भी प्रकार का दूषित जल का निस्सारण नहीं किया जावेगा। उद्योग से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले सम्पूर्ण दूषित जल का पुर्नउपयोग उद्योग में स्थापित थिकनर के माध्यम से किया जावेगा, तदोपरांत उपचारित जल का उपयोग डस्ट सर्प्रेशन में जल छिड़काव तथा हरित पट्टिका में सिंचाई के लिए किया जावेगा। अतः उद्योग के दूषित जल का निस्सारण आसपास की कृषि भूमि अथवा बंजर भूमि में नहीं किया जावेगा।

56. प्रस्तावित परियोजना बतारी में क्यों स्थापित होना चाहिए, जबकि लगी हुई भूमि पर एक स्कूल संचालित है।

उ0 छत्तीसगढ़ शासन की प्रथम औद्योगिक नीति 2001–2006 के तहत् कोल वॉशरी प्लांट की स्थापना की कार्यवाही वर्ष 2001–2002 शुरू हुई किन्तु नीजि स्कूल की स्थापना की कार्यवाही वर्ष 2008–2009 में प्रारंभ हुई। कोल वॉशरी की स्थापना के लिए आवश्यक 20.25 एकड़ भूमि जो दीपिका कोल माइन्स के नजदीक है उसे शासन ने वर्ष 2003–2004 में अधिग्रहण किया था, जबकि पट्टे पर प्रदायित भूमि को एक उद्योगपति परिवार ने व्यावसायिक उपयोग के लिए वर्ष 2008–2009 में खरीदी थी एवं भूमि खरीदते समय उन्हें जानकारी थी कि यहा पर कोल वॉशरी की स्थापना हो रही हैं किन्तु फिर भी उक्त भूमि स्कूल स्थापना के लिए दान में मात्र इस लिए दी गयी की भविष्य में स्कूल के नाम से प्रस्तावित कोल वॉशरी का विरोध किया जा सके।

कोल वॉशरी स्थापना के लिए आवश्यक 20.25 एकड़ भूमि को शासन ने 99 वर्षो अवधि के लिए लीज पर दिया है एवं इस हेतु शासन ने एम.ओ.यू. भी निष्पादित किया हैं, जबकि स्कूल नीजि भूमि पर संचालित है कोल वॉशरी की स्थापना के लिए बनाए गये दिशानिर्देशों के अनुसार यह भूमि एकदम उपयुक्त है क्योंकि यह उत्पादनरत दीपिका कोल माइन्स से मात्र 2.5 किलोमीटर एवं बिलासपुर पाली रोड़ से मात्र 400 मीटर दूरी पर स्थित है। प्रबंधन द्वारा कोलवॉशरी की बाहरी दीवार को अधिकतम ऊंचाई तक बढ़ाया जावेगा, बाउण्ड्रीवाल के अंदर चौड़ी हरित पटिका विकसित की जावेगी जिसमें जल्दी बढ़ने वाले घने एवं ऊँचे वृक्ष लगाये जावेंगे।

इण्ड्स पब्लिक स्कूल में स्कूल प्रबंधन के कारखानों में कार्य करने वाले अधिकारियों के बच्चे पढते है, , आसपास के ग्रामीण परिवारों के पढ़ने वाले बच्चों की तादात् नहीं के बराबर है संभवतः शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रतिपादित दिशानिर्देशों का पालन स्कूल प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया है। आवश्कयता महसूस होने पर शासन द्वारा उक्त स्कूल की भूमि का अधिग्रहण

किया जा सकता है एवं उसे उपयुक्त स्थान पर अनयंत्र स्थानांतरित किया जा सकता हैं जिसमें होने वाले खर्चो को संस्थान वहन करने की सहमति प्रदान करती है।

उद्योग प्रतिनिधि द्वारा यह भी बताया गया कि प्राप्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों पर समाधानकारक कार्यवाही करते हुए वर्तमान में बनाये गए प्रारूप ई.आई.ए. रिपोर्ट में समाहित किया जाकर अंतिम ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाकर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आयोजित लोक सुनवाई के समस्त कार्यवाहियों की विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराते हुए निर्धारित समयानुसार लोक सुनवाई की कार्यवाही पूर्ण की गई।

लोक सुनवाई के पूर्व 34 एवं लोक सुनवाई के दौरान 38 कुल 72 लिखित में चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां तथा लोक सुनवाई के दौरान 248 व्यक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों का अभिलिखित पत्रक, लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का उपस्थित पत्रक, विडियो सी.डी. एवं फोटोग्राफ्स के साथ लोक सुनवाई कार्यवाही संलग्न कर विवरण सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा

क्षेत्रीय अधिकारी,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
रायपुर, कोरबा (छ.ग.)

अपर कलेक्टर,
कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.)

अपर कलेक्टर,
कोरबा (छत्तीसगढ़)